

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

1	SUK-41	शोभाराम / भीका / सुकवा वनग्राम	मकान का भूअर्जन करने बाबत	अवार्ड क्र० 74 पर 867221 रू० मुआवजा एवं वि०पु०अ० 6847 रू० दिया गया।	—	आवेदक को कृषि भूमि व उस पर स्थित समस्त परिसम्पत्तियों का मुआवजा दिया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
---	--------	--------------------------------	---------------------------	---	---	---	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 3 मुआवजे की राशि कम प्राप्त हुई

1	SUK-107	काबुलबाई / बाबू / सुकवा वनग्राम	ओंकारेश्वर बांध में प्रभावित की समस्या निवारण	क्र. 59 पर पुनर्वास अनुदान राशि 43700 दी गई।	—	आवेदिका को मकान के अंतर की राशि कंडिका 7.2 दी जा सकती है।	
2	SUK-106	लक्ष्मणलाल / छजजूलाल / सुकवा वनग्राम	ओंकारेश्वर बांध में प्रभावित की समस्या निवारण	क्र० 64 पर पुनर्वास अनुदान राशि 23700 व प्लाट दिया गया।	—	मकान का उचित मुआवजा दिया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
3	SUK-242	गोकुल / बाबू / सुकवा वनग्राम	मुआवजा मिलने बाबत	आबादी अवार्ड क्र 241 पर 70862 रु० भुगतान की जा चुकी है। पुनर्वास अनुदान क्र० 375 पर 93,000 कृषि मजदूर के मान से दी गई।	—	शासन के नियमानुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा दिया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
4	SUK-163	देवराम / चंपालाल / सुकवा वनग्राम	25 लाख रु० का पैकेज दिलाने बाबत	अवार्ड क्र० 6 पर कृषि भूमि का मुआवजा 107648 रु० भुगतान किया जा चुका है।	—	शासन के नियमानुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा दिया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
5	SUK-753	नानकराम / गेंदालाल / सुकवा वनग्राम	मकान का मुआवजा कम मिलने बाबत	आवेदक को एफआरएल आबादी ग०प्र०क्र० 84 पर राशि 33626 रु० दिया जा चुका है।	—	आवेदक को पात्रतानुसार मकान का उचित मुआवजा दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
6	SUK-1432	अमृतलाल / सीताराम / सुकवा	मकान का मुआवजा कम मिलने बाबत	आवेदक को आबादी में ग०प०क्र० 152 पर कच्चे मकान एवं भूखण्ड का मुआवजा 74108 रु० दिया जा चुका है।	---	पात्रतानुसार मूल्यांकन के आधार मुआवजा दिया जा चुका है। आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 3 मुआवजे की राशि कम प्राप्त हुई

7	SUK-1053	त्रिलोकचंद्र / चामटा / सुकवा	मकान का मुआवजा कम मिलने बाबत	आवेदक को एफआरएल आबादी ग0प्र0क्र0 187 पर राशि 95358 रू0 एवं पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 287 पर 23700 रू0 ,भूखण्ड दिया जा चुका है।	--	आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है	
8	SUK-1052/3	आशाराम / गेंदालाल / सुकवा	मकान का मुआवजा कम मिलने के संबंध में	आवेदक को एफआरएल ग0प्र0क्र0 83 पर राशि 26504 रू0 एवं पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 432 पर 14350 रू0 एवं भूखण्ड दिया जा चुका है।	--	आवेदक को कंडिका 7.2 के तहत अंतर की राशि प्राप्त करने की पात्रता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

1	SUK-1714	मीणाबाई / विजय / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	अनुसार आवेदिका के पिता के नाम से टापू मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 52 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 29840 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदिका धारा 4 के प्रकाषन के लगभग 1 वर्ष पूर्व से ग्राम के डूब क्षेत्र में निवासरत नहीं थी। इसलिये उसे पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है।	
2	SUK-1716	प्रकाश / नानकराम / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) व (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	पिता के नाम से मकान का मुआवजा गणना पत्रक क्र. 205 के अनुसार 37840 रु. का भुगतान किया गया है।		आवेदक ने ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर यह माना जावे कि वह धारा 4 के प्रकाषन दिनांक के लगभग एक वर्ष पूर्व से ग्राम के डूब प्रभावित क्षेत्र में निवासरत था। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
3	SUK-1713	वीरू / विजय / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	अनुसार आवेदक के पिता के नाम से टापू कृषि भूमि मुआवजा गणना पत्रक क्र. 52 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 29,840 मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक धारा 4 के प्रकाषन के लगभग 1 वर्ष पूर्व से ग्राम के डूब क्षेत्र में निवासरत नहीं थी। इसलिये उसे पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है तथा वर्तमान में इस पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

4	SUK-1712	पूजा / विजय / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	अनुसार आवेदिका के पिता के नाम से टापू मुआवजा गणना पत्रक क्र. 52 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 29840 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदिका धारा 4 के प्रकाशन के लगभग 1 वर्ष पूर्व से ग्राम के डूब क्षेत्र में निवासरत नहीं थी। इसलिये उसे पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है तथा वर्तमान में इस पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है।	
5	SUK-1848	पूनम / जयराम / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	अनुसार आवेदिका के पिता के नाम से टापू कृषि भूमि मुआवजा गणना पत्रक क्र. 52 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 29,840 मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक की उम्र अंतिम परिवार सूची में 17 वर्ष दर्ज होने से उसे पुनर्वास अनुदान की पा.ता नहीं आती है।	
6	SUK-1847	माया / पूजन / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	अनुसार आवेदिका के नाम से मुआवजा गणना पत्रक क्र. 258 पर दर्शाये अनुसार (मकान की राशि) रु. 50,351 का भुगतान किया गया है।	—	शि.नि.प्रा. द्वारा आवेदिका के प्रकरण क्र. 25439 दिनांक 19.06.09 के द्वारा अमान्य किया गया है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

7	SUK-1846-1	सुनिल / मनोहर / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	अनुसार आवेदक के पिता मनोहर के नाम से मुआवजा गणना पत्रक क्र. 110 के अनुसार राशि रु. 32,523 एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 154 के अनुसार 43,700 रु. का भुगतान किया जा चुका है।	—	आवेदक की उम्र अंतिम परिवार सूची में 15 वर्ष दर्ज होने से उसे पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं आती है।	—
---	------------	-----------------------	---	--	---	--	---

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 5 राजस्व भूमि पर अतिक्रमण के मामले

1	SUK-626-1	छन्नू / गागू / सुकवा	अतिक्रमण की भूमि का मुआवजा दिलाये जाने बाबत	आवेदक के पिता गागू पिता उमराव के नाम से कृषि भूमि गणना नंबर 10 पर राशि रु. 177242 एवं आवेदक स्वयं के नाम से आबादी भूमि के अवार्ड गणना नंबर 279 पर राशि रु. 35102 एवं पुनर्वास अनुदान गणना नंबर 426 पर राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया।	---	अतिक्रमण भूमि का प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग-13 खंडवा से प्रस्ताव अप्राप्त	
---	-----------	----------------------	---	--	-----	--	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

1	SUK-5	जयराम / चंपालाल / सुकवा वनग्राम	प्लॉट एवं अनुदान नहीं मिला	आवेदक को अवार्ड गणना नंबर 3 पर राशि रु. 61424 का भुगतान किया गया।	—	आवेदक धारा-4 के समय ग्राम में निवास नहीं करता है। इसलिए अपात्र है।	
2	SUK-1659	सूरज / सुकलाल / सुकवा	पुनर्वास नीति अनुसार प्लॉट एवं अनुदान दिये जाने बाबत। कम से कम विशेष पैकेज 2.5 लाख का दिया जावे। परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को गणना पत्रक क्रमांक 335 पर दर्षाये अनुसार 43700 रु., पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 334 पर दर्षाये अनुसार 43700/- दिया गया है।	—	परिवार सूची में नाम जुडा हुआ है भूखंड के बदले 20,000 की राशि प्रदान की गई है। आवेदक कृषक परिवार का है अतः पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान 43,700 रु. दिया गया है। वर्तमान में 2.50 लाख रुपये का पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
3	SUK-511	प्रदीप / भैयालाल / सुकवा	पुनर्वास अनुदान देने बाबत।	आवेदक के दादा चम्पालाल पिता नंदू के नाम से अवार्ड गणना नंबर 42 पर राशि रु. 268863/- का भुगतान किया गया।	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची आवेदक की उम्र 16 वर्ष दर्ज होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
4	SUK-315	मंगीबाई / गेंदालाल / सुकवा वनग्राम	अनुदान राशि मिलने बाबत	आवेदिका को कृषि भूमि का मुआवजा 354802 रु० दिया गया।	—	आवेदिका अपने पुत्र पर आश्रित होने के कारण अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

5	SUK-1221	दिनेश / काशीराम / सुकवा	पुनर्वास अनुदान बाबत।	आवेदक के पिता काशीराम का नाम आर्वाड आबदी गणना नंबर 243 राशि रु. 85108 का भुगतान किया गया।	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम क्रमांक 235 पर दर्ज होकर आवेदक की उम्र 15 अंकित होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
6	SUK-432	शांतिलाल, / रामाजी / सुकवा वनग्राम	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	-	-	ग्राम में निवासरत नहीं होने से अनुदान नहीं दिया गया।	
7	SUK-509	मंगत / गेंदालाल / सुकवा	विशेष अनुदान पैकेज 2.5 लाख की मांग बाबत।	आवेदक के नाम से निजी अर्वाड गणना क्र.-85 पर राशि रु. 17536/- एवं पुनर्वास अनुदान गणना नंबर 34 पर राशि रु. 14350 का भुगतान किया गया।	---	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। आवेदन निरस्ती योग्य	
8	SUK-375	नानकराम / चम्पालाल / सुकवा वनग्राम	जमीन के बदले जमीन एवं प्लॉट एवं वयस्क पुत्र-पुत्री को अनुदान देने बाबत	अर्वाड क्र० 38 पर कृषि भूमि का मुआवजा 255731 रु० भुगतान किया गया। आवेदक एवं उसके वयस्क पुत्र को पुनर्वास अनुदान 43700-43700 रु० दिया गया।	-	अंतिम परिवार सूची में आवेदक की पुत्री रीनाबाई 16 वर्ष एवं पुत्र महेश की उम्र 14 होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदक इनपुन में प्लॉट चाहता है। इनपुन में प्लॉट उपलब्धता नहीं है। अन्य पुनर्वास स्थल बीड़, गुयड़ा, इंधावडी में रिक्त भूखंड दिये जा सकते हैं।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

9	SUK-349	वीरू / वीजय / सुकवा वनग्राम	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	आवेदक के पिता के नाम से अवार्ड गणना नंबर 52 पर राशि रु. 29840 का भुगतान किया गया।	—	नाबालिग होने से अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
10	SUK-348	रेखाबाई / विजय / सुकवा वनग्राम	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	जी०आर०ए० के आदेश के पालन में 93,000 रु० पुनर्वास अनुदान दिया गया।	जी०आर०ए० के आदेश का पालन किया गया।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
11	SUK-347	मीनाबाई / विजय / सुकवा वनग्राम	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	आवेदिका के पिता एवं भाई को जी०आर०ए० के आदेश से पुनर्वास अनुदान दिया गया है।	—	नाबालिग होने से अनुदान नहीं दिया गया।	
12	SUK-346	पूजा / विजय / सुकवा वनग्राम	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	आवेदिका के पिता एवं भाई को जी०आर०ए० के आदेश से पुनर्वास अनुदान दिया गया है।	—	नाबालिग होने से अनुदान नहीं दिया गया।	
13	SUK-345	अजय / विजय / सुकवा वनग्राम	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	जी०आर०ए० के आदेश के पालन में आवेदक को 93000 राशि पुनर्वास अनुदान के रूप में दी गई।	जी०आर०ए० के आदेश का पालन किया गया।	शासन की नीति अनुसार समस्त लाभ दिये गये। आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

14	SUK-105	छज्जु / चंपालाल / सुकवा वनग्राम	ओंकारेश्वर बांध में प्रभावित की समस्या निवारण	आवेदक को कृषि भूमि का मुआवजा 114470 रु० भुगतान किया गया। आबादी का मुआवजा 17801 रु० भुगतान किया गया। कृषि अवार्ड-टापू में 117375 रु० भुगतान किया गया। क्र० 99 पर पुनर्वास अनुदान 23700 व प्लॉट दिया गया।	—	पुनर्वास अनुदान के तहत कंडिका 7.2 के अंतर्गत मकान अंतर की राशि दी जा सकती है। पुत्र हरिष्चंद्र को भूखंड के बदले नगद राशि भुगतान की जा चुकी है। अतः भूखंड की पात्रता नहीं है।	
15	SUK-723	बालकराम / जयराम / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक का अवार्ड गणना नंबर 249 पर राशि रु. 47163 का भुगतान किया गया।	—	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान पैकेज दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।	
16	SUK-316	राकेश / दशरथ / सुकवा वनग्राम	अनुदान देने बाबत	आवेदक के पिता दशरथ पिता गेदिया को 34344 मुआवजा भुगतान किया गया।	—	अंतिम परिवार सूची में आवेदक की उम्र 17 वर्ष होने से अनुदान की पात्रता नहीं आती है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
17	SUK-86	दशरथ / दुबलिया / सुकवा-वनग्राम	प्लॉट व मुआवजा बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प. क्र. 360 पर पात्रतानुसार 93,000 रु० भुगतान किया गया है।	—	आवेदक को समुचित अनुदान दिया गया है। आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

18	SUK-259	लखन / भुरिया / सुकवा वनग्राम	पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया	—	—	अंतिम परिवार सूची में आवेदक की उम्र 10 वर्ष अंकित होने से अनुदान की पात्रता नहीं आती है।	
19	SUK-243	मुकेश / देवराम / सुकवा वनग्राम	मकान का पुनः मूल्यांकन एवं प्लॉट बाबत	अवार्ड क्र० 77 पर मुआवजा 47931 रु० भुगतान की गई। पुनर्वास अनुदान क्र० 102 पर 43700 रु० भुगतान किया जा चुका है।	—	भूखंड के बदले 20,000 रु० दिये गये हैं। यदि वहा 20,000 राशि वापस करता है तो प्लॉट दिया जा सकेगा।	
20	SUK-13	आशाराम / गेंदालाल वगैरा (सामूहिक आवेदन) / सुकवा (वनग्राम)	शिक्षित बेरोजगारों को सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट में नौकरी देने बाबत	—	—	इस कार्यालय से सम्बंधित नहीं।	
21	SUK-15	चिंताराम / गुलाब / सुकवा (वनग्राम)	आवेदक के दोनों वयस्क पुत्रों को अनुदान नहीं मिलने बाबत	—	—	आवेदक के बालिग पुत्रों को अनुदान दिया गया है। धारा-4 के प्रकाशन के समय आवेदक के शेष पुत्रों की उम्र 18 वर्ष नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं आती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

22	SUK-16	नंदराम / रामा / सुकवा (वनग्राम)	दो पुत्रों को अनुदान प्लॉट देने बाबत	-	-	आवेदक के बालिग पुत्रों को अनुदान दिया गया है। धारा-4 के प्रकाशन के समय आवेदक के शेष पुत्रों की उम्र 18 वर्ष नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं आती है।	
23	SUK-241	शंकरलाल / बाबू / सुकवा वनग्राम	प्लॉट एवं मुआवजा देने बाबत	आबादी अवार्ड में 18170 रु० मुआवजा दिया गया है।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 25406 आदेश दिनांक 1. 12.08 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
24	SUK-240	हरेसिंह / रोजर / सुकवा वनग्राम	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	अवार्ड क्र० 53 पर मुआवजा 21524 रु० भुगतान किया गया।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 17247 आदेश दिनांक 9. 06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
25	SUK-239	लाखन / हरेसिंह वगैरा / सुकवा वनग्राम	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	अवार्ड क्र० 53 पर मुआवजा राशि 21524 रु० भुगतान की जा चुकी है।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 25426 आदेश दिनांक 4. 05.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

26	SUK-165	कैलाश / लाभु / सुकवा वनग्राम	प्लॉट आवंटन बाबत	-	-	आवेदक कंडिका 7.1 भूखंड के बदले नगद राशि जमा कर रिक्त पुनर्वास सील पर भूखंड आवंटित किया जा सकता है।	
27	SUK-164	लाभु / निहाला / सुकवा वनग्राम	प्लॉट आवंटन करने बाबत	-	-	आवेदक कंडिका 7.1 भूखंड के बदले नगद राशि 20,000 रु० जमा कराने पर रिक्त पुनर्वास स्थल पर भूखंड आवंटित किया जावेगा।	
28	SUK-344	विजय / सोजर / सुकवा वनग्राम	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	अवार्ड क्र० 52 पर कृषि भूमि का मुआवजा 29840 रु० दिया गया। जी०आर०ए० के आदेश के पालन में 93,000 रु० पुनर्वास अनुदान दिया गया।	जी०आर०ए० के आदेश का पालन किया गया।	आवेदक को शासन की नीति अनुसार समस्त लाभ दिये गये। आवेदन निरस्त योग्य है।	
29	SUK-518	संतोष / अनोखीलाल / सुकवा	अनुदान प्लॉट एवं विशेष पैकेज 2.5 लाख बाबत।	आवेदक के पति अनोखीलाल पिता नत्थू के नाम से आबादी अवार्ड गणना नंबर 137 पर राशि रु. 106198/- एवं पुनर्वास अनुदान क्र.-196 पर राशि रु. 23700/- का भुगतान किया गया।	----	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम अंकित नहीं होने से अनुदान एवं प्लॉट की पात्रता नहीं बनती	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

30	SUK-1222	संतोष, मोंगरबाई / सखाराम / सुकवा	पुनर्वास अनुदान बाबत।	आवेदकों के पिता का नाम आबादी गणना नंबर 264 पर 16581 का भुगतान किया गया।	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम क्रमांक 253 पर दर्ज होकर आवेदक की उम्र 10 एवं 14 वर्ष अंकित होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
31	SUK-140	राधू / नंदराम / सुकवा	प्लॉट दिये जाने संबंधी	आवेदक पिता नंदराम पिता मौजा के नाम से आबादी अवार्ड गणना नंबर 114 पर राशि 86523 एवं आवेदक की माँ शांताबाई बेवा नंदराम के नाम से टापू अवार्ड गणना नंबर 33 पर 5.050 एकड़ कृषि भूमि का अर्जन कर राशि रु. 578541 साथ ही आवेदक स्वयं के नाम से पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 162 पर राशि रु 43700 का भुगतान किया गया जिसमें भूखण्ड की राशि रु. 20000 शामिल है।	---	आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

32	SUK-141	राकेश / जशवंत / सुकवा	पुनर्वास अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के दादा नंदराम पिता मौजा के नाम से आबादी अवार्ड गणना नंबर 114 पर राशि 86523 एवं आवेदक की दादीमौं शांताबाई बेवा नंदराम के नाम से टापू अवार्ड गणना नंबर 33 पर 5.050 एकड़ कृषि भूमि का अर्जन कर राशि रु. 578541 का भुगतान किया गया।	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक की उम्र 17 वर्ष एवं नातीन होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती।	
33	SUK-142	शोभाराम / नसरिया / सुकवा	ग्राम सुकवा में अनुदान हेतु	आवेदक स्वयं के नाम से अवार्ड गणना नंबर 89 पर राशि रु. 67600 का भुगतान किया गया	---	आवेदक डूब क्षेत्र के बाहर का निवासी है अतः अनुदान की पात्रता नहीं बनती।	
34	SUK-143	शांताबाई / आनंदराम / सुकवा	प्लॉट लेने बाबत	आवेदिका के नाम से टापू अवार्ड गणना नंबर 33 पर 5.050 एकड़ कृषि भूमि का अर्जन कर राशि रु. 578541 एवं पुनर्वास अनुदान गणना नंबर 158 पर राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया, जिसमें भूखंड की राशि रु. 20000 शामिल होने से भूखंड की पात्रता नहीं बनती।	---	आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

35	SUK-1568	सुशिला / कड़वाजी / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदिका के पिता कड़वाजी के नाम से अवार्ड गणना नंबर 25 पर राशि रु. 14350 का भुगतान किया गया।	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदिका का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
36	SUK-348	रेखाबाई / विजय / सुकवा	पुनर्वास अनुदान देने बाबत्	आवेदिका के पिता के नाम से अवार्ड गणना नंबर 52 पर राशि रु. 29840 का भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण से अमान्य	आवेदिका के पिता द्वारा शिकायत निवारण प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया था जो प्रकरण क्रमांक-17248 दिनांक 09.06.09 से अमान्य किया गया।	
37	SUK-475	टीकाराम / सीताराम / सुकवा	अनुदान एवं मुआवजा बाबत्	आवेदक के नाम से आबादी अवार्ड गणना नंबर 272 पर राशि रु. 22947/- एवं पुनर्वास अनुदान गणना नंबर 413 पर राशि रु. 97485 का भुगतान किया गया।	---	आवेदन निरस्ती योग्य है।	
38	SUK-510	जितेन्द्र / रमेश / सुकवा	पुनर्वास अनुदान देने बाबत्।	आवेदक की माँ के नाम से आबादी गणना क्र. 81 पर राशि रु. 89529/- का भुगतान किया गया।	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची अ.क्र. 269 पर संतोषबाई बेवा रमेश के परिवार में नाम शामिल किन्तु उम्र 15 वर्ष होने से अनुदान नहीं दिया गया अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

39	SUK-512	संदीप / भैयालाल / सुकवा	पुनर्वास अनुदान देने बाबत।	आवेदक के दादा चम्पालाल पिता नंदू के नाम से अवार्ड गणना नंबर 42 पर राशि रु. 268863/- का भुगतान किया गया।	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची आवेदक की उम्र 17 वर्ष दर्ज होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
40	SUK-25	चिंत्ताराम / गुलाबसिंह / सुकवा वनग्राम	आवास का पट्टा एवं वाहन दुलाई के रू० दिलाने बाबत	-	-	आवेदक के पुत्र रणजीत को क्र० 254 पर 23700 व पट्टा दिया गया, पुत्र अशोक 23700 व पट्टा दिया गया। पुत्री कृष्णलता को 43700 रू० दिया गया। परिवहन अनुदान विस्थापन के बाद दिया जाएगा।	
41	SUK-12	अनिल / शिवकरण / सुकवा वनग्राम	मकान का मुआवजा मिला अनुदान नहीं	आवेदक को ग्राम इंधावड़ी में अवार्ड गणना नंबर 73 पर राशि रु. 48884 का भुगतान किया गया।	-	धारा-4 के समय डूब क्षेत्र में निवास न होने से	
42	SUK-515	रामकुंवरबाई / नत्थू / सुकवा	जमीन के बदले जमीन या विशेष पैकेज 2.5 लाख बाबत।	आवेदिका को अवार्ड गणना क्र.-64 कृषि भूमि 5.47 एकड़ का अर्जन किया गया जिसका मुआवजा राशि रु. 587752/- एवं पुनर्वास अनुदान क्र.-197 पर राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया	---	जमीन के बदले जमीन का प्रकरण शिकायत निवारण प्राधिकरण में प्रचलित है एवं जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने संबंधी कोई प्रावधान वर्तमान में एनएचडीसी के पास नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

43	SUK-517	दीपक / अनोखीलाल / सुकवा	अनुदान प्लॉट एवं विशेष पैकेज 2.5 लाख बाबत।	आवेदक के पति अनोखीलाल पिता नत्थू के नाम से आबादी अवार्ड गणना नंबर 137 पर राशि रु. 106198/- एवं पुनर्वास अनुदान क्र.-196 पर राशि रु. 23700/- का भुगतान किया गया।	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक की उम्र 16 वर्ष होने से पात्रता नहीं बनती साथ ही आवेदक को प्लॉट की पात्रता भी नहीं बनती	
44	SUK-520	देवकरण / कड़वाजी / सुकवा	पुनर्वास अनुदान एवं मकान का मुआवजा 20000 से कम शेष राशि 5927रु. बना।	ग्राम इंधावड़ी में आवेदक के नाम से कृषि भूमि टापू अवार्ड में गणना नंबर 119 पर मकान की मुआवजा राशि रु. 5927 का भुगतान किया गया।	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम अंकित नहीं आवेदक ग्राम इंधावड़ी का निवासी है। आवेदन निरस्ती योग्य है।	
45	SUK-524	चिंताराम / किशन / सुकवा	जीविका हेतु 2.5 लाख का विशेष पैकेज बाबत।	अवार्ड आबादी गणना नंबर 224 पर राशि रु. 72575/- एवं पुनर्वास अनुदान गणना नंबर 352 पर राशि रु. 73000/- का भुगतान किया गया।	---	जीविका हेतु 2.5 लाख का विशेष पैकेज की पात्रता के संबंध में आवेदन निरस्ती योग्य है।	
46	SUK-580	बब्बू / भीका / सुकवा	पुनर्वास अनुदान देने बाबत।	आवेदक के पिता के नाम से कृषि भूमि गणना क्र.-49 पर राशि रु. 24747 का भुगतान किया गया।	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं बनती।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

47	SUK-525	ओंमप्रकाश / चिंताराम / सुकवा	पुनर्वास अनुदान देने बाबत्।	आवेदक के पिता के नाम से अवार्ड आबादी गणना नंबर 224 पर राशि रु. 72575/- एवं पुनर्वास अनुदान गणना नंबर 352 पर राशि रु. 73000/- का भुगतान किया गया।	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक की उम्र 17 वर्ष होने से पात्रता नहीं बनती	
48	SUK-579	लाड़की / भीका / सुकवा	पुनर्वास अनुदान देने बाबत्।	आवेदिका के पिता के नाम से कृषि भूमि गणना क्र.-49 पर राशि रु. 24747 का भुगतान गया गया।		ग्राम की अंतिम परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं बनती।	
49	SUK-561	भवानीराम / शंकर / सुकवा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत्।	आवेदक के नाम से आबादी गणना क्रमांक-126 पर राशि रु. 24484/- एवं पुनर्वास अनुदान गणना नंबर 183 पर राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया।	---	आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
50	SUK-613	साधु / केशव / सुकवा	प्लॉट व अनुदान बाबत्।	आवेदक को आबादी अवार्ड गणना नंबर 269 पर राशि रु. 74053/- पुनर्वास अनुदान गणना नंबर 408 पर राशि रु. 97194 का भुगतान किया गया	---	भूखण्ड के बदलने गद राशि प्राप्त किये जाने के कारण आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

51	SUK-541	छननू / गागू / सुकवा	अतिक्रमण की कृषि भूमि का नाप कर मुआवजा एवं जमीन के बदले जमीन देने बाबत्।	आवेदक के पिता श्री गागू पिता उमराव के नाम से अवार्ड गणना नंबर 10 कृषि भूमि 2.47 एकड़ का अर्जन कर राशि रु. 177242/- एवं स्वयं आवेदक के नाम से पुनर्वास अनुदान गणना नंबर 426 पर राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया।	---	जमीन के बदले जमीन से संबंधित प्रकरण शिकायत निवारण प्रधिकरण में प्रचलित है।	
52	SUK-516	दयाबाई / अनोखीलाल / सुकवा	जमीन के बदले जमीन या विशेष पैकेज 2.5 लाख बाबत्।	आवेदिका के पति अनोखीलाल पिता नत्थू के नाम से आबादी अवार्ड गणना नंबर 137 पर राशि रु. 106198/- एवं पुनर्वास अनुदान क्र.-196 पर राशि रु. 23700/- का भुगतान किया गया।	---	जमीन के बदले जमीन का प्रकरण शिकायत निवारण प्राधिकरण में प्रचलित है एवं जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने संबंधी कोई प्रावधान वर्तमान में एनएचडीसी के पास नहीं है।	
53	SUK-526	सविता / चिंतेराम / सुकवा	पुनर्वास अनुदान देने बाबत्।	आवेदिका के पिता के नाम से अवार्ड आबादी गणना नंबर 224 पर राशि रु. 72575/- एवं पुनर्वास अनुदान गणना नंबर 352 पर राशि रु. 73000/- का भुगतान किया गया।	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदिका की उम्र 15 वर्ष होने से पात्रता नाही बनती	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

54	suk-1726/4	संगीता / रामकरण / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
55	suk-1729/4	अनिल / शिवकरण / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	18 वर्ष से कम उम्र होने के कारण आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है।	
56	suk-1727/4	नंदूबाई / बेवा गडबड़ / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त योग्य है।	
57	suk-1728/4	महेश / रेवाराम / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	18 वर्ष से कम उम्र होने के कारण आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

58	suk-1725/4	ललिताबाई / बेवा लक्ष्मण / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	---	---	आवेदिका का नाम परिवार सूची क्रं.-194 पर माँ के रूप में होने के कारण प्रेमलाल का आश्रित बताया है। आवेदन निरस्त किया जाता है।	
59	suk-1724/4	मौसमबाई / रामकरण / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	---	---	आवेदिका का नाम परिवार सूची क्रं.-156 पर है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
60	suk-1723/4	हरेसिंह / शोजर / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	---	---	आवेदक का परिवार सूची क्रं. -185/2 में नाम दर्ज है। परिवार सूची संलग्न है।	
61	suk-1721/1	सुकमाबाई / धनसिंह / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

62	suk-1730/4	कड़वा / गंगाराम / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	---	
63	suk-1722/4	धापर्डबाई उर्फ कालीबाई / पुनिया / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	आवेदिका का परिवार सूची क्रं.-80 पर नाम दर्ज है ओर मुखिया रामू पिता सीताराम की पत्नि होने के कारण आश्रित है। आवेदन पत्र निरस्त योग्य हैं	
64	SUK-1751	अशोक / शंकर / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची क्रमांक 258 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 410 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 93000 का भुगतान किया गया है।	-	भूमिहीन को दी जाने वाली कडिका 9.1 की राशि पात्रता अनुसार 49,300 रु. का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में 2.50 लाख रूपये का पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
65	SUK-1664	चन्द्रसिंह / रतनसिंह / सुकवा	1000 फीट पाईप लाईन धारा नौ में ली गई और 12 धारा में छोड़कर मुआवजा बाबत।	आवेदक को कृषि भूमि गणना पत्रक 14 पर दर्शाये अनुसार 11,89,582 रु. का मुआवजा दिया गया है। जिसमें से पाईप लाईन की राशि रु. 21,068 भी भुगतान की गई है।		आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

66	SUK-1800	भोलेनाथ / ठाकुर / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान 67,500 रु. का भुगतान किया जा चुका है।	---	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान स्वीकृत कर भुगतान किया गया है वर्तमान में इस पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
67	SUK-1767	कल्लू / बाबू / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	-	-	वर्तमान में 2.50 लाख रुपये का पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
68	SUK-1766	सुजानबाई / टिकाराम / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदिका का नाम परिवार सूची क्रमांक 98 पर दर्ज है। आवेदिका को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.165 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 93000 का भुगतान किया गया है।	-	भूमिहीन को दी जाने वाली कडिका 9.1 की राशि पात्रता अनुसार 49,300 रु. का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में 2.50 लाख रुपये का पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
69	SUK-1765	नानकराम / जयराम / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	-	-	वर्तमान में 2.50 लाख रुपये का पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

70	SUK-1764	दौलत / पुन्या / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् ।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची क्रमांक 89 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.144 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 73000 का भुगतान किया गया है।	—	भूमिहीन को दी जाने वाली कडिका 9.1 की राशि पात्रता अनुसार 49,300 रु. का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में 2.50 लाख रुपये का पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
71	SUK-1761	नन्नु / जयराम / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् ।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची क्रमांक 242 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 385 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 100236 का भुगतान किया गया है।	—	भूमिहीन को दी जाने वाली कडिका 9.1 की राशि पात्रता अनुसार 49,300 रु. का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में 2.50 लाख रुपये का पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
72	SUK-1760	रामपाल / नानकराम / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् ।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची क्रमांक 206 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 331 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक का व्यवसाय कृषि होने से पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान 43,700 रु. दिया गया जो उचित है। आवेदक को कडिका 9.1 की पात्रता नहीं है एवं वर्तमान में 2.50 लाख विशेष पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

73	SUK-1759	मनोहर / मांगीलाल / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् ।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची क्रमांक 94 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 154 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक का व्यवसाय कृषि होने से पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान 43,700 रु. दिया गया जो उचित है। आवेदक को कंडिका 9.1 की पात्रता नहीं है एवं वर्तमान में 2.50 लाख विषे पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
74	SUK-1756-2	दयाबाई / बाबा / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् ।	अनुसार आवेदिका का नाम परिवार सूची क्रमांक 150 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 236 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदिका का व्यवसाय कृषि होने से पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान 43,700 रु. दिया गया जो उचित है। आवेदिका को कंडिका 9.1 की पात्रता नहीं है एवं वर्तमान में 2.50 लाख विषे पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
75	SUK-1756	रेवाराम / गोपाल / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् ।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची क्रमांक 209 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 337 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 73000 का भुगतान किया गया है।	—	भूमिहीन को दी जाने वाली कंडिका 9.1 की राशि पात्रता अनुसार 49,300 रु. का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में 2.50 लाख रुपये का पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

76	SUK-1755	महिपाल / नानकराम / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् ।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची क्रमांक 206 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 332 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक कृषक परिवार का है। अतः पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान 43,700 दिया गया है। जो उचित है। आवेदक को कंडिका 9.1 की पात्रता नहीं है एवं वर्तमान में 2.50 लाख विषे पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
77	SUK-1754	गीताबाई / महेन्द्र / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् ।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची क्रमांक 141 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 222 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 93000 का भुगतान किया गया है।	—	भूमिहीन को दी जाने वाली कंडिका 9.1 की राशि पात्रता अनुसार 49,300 रु. का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में 2.50 लाख रूपये का पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
78	suk-1740	चेतराम / श्यामलाल / सुकवा	घर का मुआवजा रु. 25000 से कम बनने पर कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत् ।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-135 रु० 43700 दी जा चुकी है।	---	इंदिरा आवास के तहत पुनर्वास नीति की कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि दिया जाना उचित है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

79	suk-1741/1	राधेश्याम / रूखडू / सुकवा	भूमिहीन के रूप में अनुदान देने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-6 रू0 47500 दी जा चुकी है।	---	भूमिहीन के अनुदान पाने के लिये शिकायत निवारण प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।	
80	suk-1732/1	बिरजू / बंशी / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान क्रं.-385 रू0 23700 दी जा चुकी है।	---	18 वर्ष से कम उम्र होने के कारण आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है।	
81	suk-1732/4	राजु / नर्मदाशंकर / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	18 वर्ष से कम उम्र होने के कारण आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है।	
82	suk-1733/4	जितेन्द्र / रमेश / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	18 वर्ष से कम उम्र होने के कारण आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है।	
83	suk-1734/1	रामचरण / शिवकरण / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	18 वर्ष से कम उम्र होने के कारण आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

84	suk-1735/4	लखन / हरेसिंह / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	---	---	आवेदक का परिवार सूची क्रं. -185/2 में नाम दर्ज है। अतः आवेदन पत्र निरस्त योग्य है।	
85	SUK-1753	चेतराम / गोपाल / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची क्रमांक 210 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 338 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 110372 का भुगतान किया गया है।	-	भूमिहीन को दी जाने वाली कडिका 9.1 की राशि पात्रता अनुसार 49,300 रु. का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में 2.50 लाख रुपये का पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
86	suk-1739/1	किरणबाई / दिनेश / सुकवा	मेरे घर का भू-अर्जन करने बाबत्।	---	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
87	SUK-1752	दिनेश / गोपाल / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची क्रमांक 211 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 339 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 94158 का भुगतान किया गया है।	-	भूमिहीन को दी जाने वाली कडिका 9.1 की राशि पात्रता अनुसार 49,300 रु. का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में 2.50 लाख रुपये का पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

88	suk-1742	महावीर / मांगीलाल / सुकवा	घर का मुआवजा रु. 20000 से कम बनने पर कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-157 रु0 43700 दी जा चुकी है।	---	इंदिरा आवास के तहत पुनर्वास नीति की कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि दिया जाना उचित है।	
89	suk-1744	प्रकाश / तोताराम / सुकवा	घर का मुआवजा रु. 20000 से कम बनने पर कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-02 रु0 98062 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को अनुदान सूची क्रं.-02 पर कंडिका-7.2 की राशि का भुगतान किया गया है आवेदन निरस्त योग्य है।	
90	SUK-1748	प्रकाश / नानकराम / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची क्रमांक 200 पर दर्ज है। आवेदक के पिता को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 424 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया है।	-	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची क्रमांक 200 पर पोते के रूप में दर्ज है। अतः उसे पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं आती है एवं वर्तमान में 2.50 लाख विशेष पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

91	SUK-1749	भाईराम / सालकराम / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् ।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची क्रमांक 199 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 318 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक का व्यवसाय कृषि होने से पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान 43,700 रु. दिया गया जो उचित है। आवेदक को कंडिका 9.1 की पात्रता नहीं है एवं वर्तमान में 2.50 लाख विषे पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
92	SUK-1750	रामगोपाल / बाबा / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् ।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची क्रमांक 150 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 237 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 23700 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक कृषक परिवार का है। अतः पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान 23,700 दिया गया है। जो उचित है। आवेदक को कंडिका 9.1 की पात्रता नहीं है एवं वर्तमान में 2.50 लाख विषे पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
93	suk-1731/4	पिंकीबाई / लखन / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत् ।	---	---	अंतिम परिवार सूची में आवेदिका का नाम पत्नि के रूप में दर्ज होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

94	suk-1736/1	सुरज / टुकड़िया / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	18 वर्ष से कम उम्र होने के कारण आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है।	
95	suk-1643/1	दिनेश / बाबू / सुकवा	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान, मुआवजा व अनुदान की राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-61 रू0 43700 दी जा चुकी है।	---	पुनर्वास अनुदान की संपूर्ण राशि का भुगतान किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
96	suk-1676/3	विक्रम / ग्यरसीया / सुकवा	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान, मुआवजा व अनुदान की राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-268 रू0 43700 दी जा चुकी है।	---	पुनर्वास अनुदान की संपूर्ण राशि का भुगतान किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
97	suk-1805/1	तोताराम / किसन / सुकवा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-253 रू0 93000 दी जा चुकी है।	---	संपूर्ण पुनर्वास अनुदान की राशि का भुगतान किया गया है। इसलिए आवेदन पत्र निरस्त योग्य है।	
98	suk-1672/1	राधेश्याम / नंदराम / सुकवा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-162 रू0 23700 दी जा चुकी है।	---	रू. 20,000 भूखण्ड की राशि चैक क्रं.-319828 दि. 14.11.06 का भुगतान किया गया है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

99	SUK-1857/4	प्रहलादसिंह / बकंट / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-78 रू0 43700 दी जा चुकी है।	--	आवेदक को परिवार सूची क्रं. -49 पर बालिग पुत्र के रूप में नाम दर्ज है एवं पुनर्वास अनुदान का भुगतान किया गया है आवेदन निरस्त योग्य है।	
100	suk-1663/3	कालु / शंकर / सुकवा	भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-142 रू0 93000 दी जा चुकी है।	--	पुनर्वास अनुदान की संपूर्ण राशि का भुगतान किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
101	suk-1662/3	पप्पू / शंकर / सुकवा	भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-143 रू0 93000 दी जा चुकी है।	--	पुनर्वास अनुदान की संपूर्ण राशि का भुगतान किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
102	suk-1661/3	देवकाबाई / शंकर / सुकवा	भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	आवेदक के पति को पुनर्वास अनुदान क्रं.-140 राशि रू0 93000 दी जा चुकी है।	--	आवेदिका मुखिया पर पत्नि के रूप में आश्रित होने के कारण अनुदान की पात्रता नहीं आती अतः आवेदन पत्र निरस्त है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

103	SUK-1660-1	प्रहलाद / सुकलाल / सुकवा	मकान एक छोड़ गया है उसका सर्वे फिर से किया जावे। पुनर्वास नीति अनुसार प्लॉट एवं अनुदान दिये जाने बाबत। कम से कम विशेष पैकेज 2.5 लाख का दिया जावे। परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को गणना पत्रक क्रमांक 343 पर दर्शाये अनुसार 43700 रु., एवं आबादी गणना पत्रक क्रमांक 218 पर दर्शाये गये मकान का मुआवजा 61847/- दिया गया है।	-	दिये गये मकान के मुआवजे में उसका पूरा मकान सम्मिलित है। परिवार सूची में नाम जुड़ा हुआ है भूखंड के बदले 20,000 की राशि प्रदान की गई है। आवेदक कृषक परिवार का है अतः पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान 43,700 रु. दिया गया है। वर्तमान में 2.50 लाख रुपये का पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
104	SUK-1658	शेरू / सुकलाल / सुकवा	पुनर्वास नीति अनुसार प्लॉट एवं अनुदान दिये जाने बाबत। कम से कम विशेष पैकेज 2.5 लाख का दिया जावे। परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को गणना पत्रक क्रमांक 335 पर दर्शाये अनुसार 43700 रु., पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 335 पर दर्शाये अनुसार 43700/- दिया गया है।	-	परिवार सूची में नाम जुड़ा हुआ है भूखंड के बदले 20,000 की राशि प्रदान की गई है। आवेदक कृषक परिवार का है अतः पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान 43,700 रु. दिया गया है। वर्तमान में 2.50 लाख रुपये का पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

105	suk-1656/4	चैनसिंह / बंकट / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-75 रू0 43700 दी जा चुकी है।	---	पुनर्वास नीति के अनुसार अनुदान राशि का भुगतान किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
106	suk-1655/1	संगु / जसवंत / सुकवा	पुनर्वास अनुदान देने बाबत।	---	---	18 वर्ष से कम उम्र होने के कारण आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है।	
107	suk-1675	दिपक / हरिराम / सुकवा	पुनर्वास अनुदान देने बाबत।	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान क्रं.-145 रू0 43700 दी जा चुकी है।	---	18 वर्ष से कम उम्र होने के कारण आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है।	
108	suk-1644/3	लक्ष्मीचंद / बाबू / सुकवा	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान, मुआवजा व अनुदान की राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-60 रू0 43700 दी जा चुकी है।	---	पुनर्वास अनुदान की संपूर्ण राशि का भुगतान किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
109	suk-1679	लता / नैनसिंह / सुकवा	पुनर्वास अनुदान देने बाबत।	आवेदक के पति को पुनर्वास अनुदान क्रं.-81 रू0 23700 दी जा चुकी है।	---	आवेदिका के पति को मुखिया के रूप में पुनर्वास अनुदान भुगतान किया गया है। अतः आवेदन पत्र निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

110	suk-1642/1	काबुलबाई / बेवा बाबू / सुकवा	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान, मुआवजा व अनुदान की राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	आवेदिका को पुनर्वास अनुदान क्रं.-59 रू0 43700 दी जा चुकी है।	---	पुनर्वास नीति के अनुसार पुनर्वास अनुदान का भुगतान किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
111	suk-1640/1	रविन्द्र / प्रेमलाल / सुकवा	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान, मुआवजा व अनुदान की राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	---	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
112	suk-1631/3	रामकुवर / मंशाराम / सुकवा	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान, मुआवजा व अनुदान की राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	आवेदिका के पति को पुनर्वास अनुदान क्रं.-434 रू0 93000 दी जा चुकी है।	---	मुखिया के रूप में पुनर्वास अनुदान का भुगतान किया गया है पत्नि रामकुवरबाई मुखिया पर आश्रित होने के कारण आवेदन पत्र निरस्त है।	
113	suk-1630/3	राजाराम / नंदराम / सुकवा	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान मुआवजा व अनुदान राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-134 रू0 93000 दी जा चुकी है।	---	पुनर्वास अनुदान की संपूर्ण राशि का भुगतान किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

114	suk-1626/1	इन्दरसिंह / धन्नालाल / सुकवा	मेरे 02 (पुत्र-पुत्री) का नाम वयस्क होने के बाद सूची में नाम न होने बाबत।	---	---	18 वर्ष से कम उम्र होने के कारण आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है।	
115	suk-1605/1	सुन्दरलाल / धन्नालाल / सुकवा	भूखण्ड मिलने बाबत।	---	---	आवेदक को पुनर्वास स्थल इनपुन सेक्टर बी. पर भूखण्ड क्रं.-112 दि. 18.04.06 को आवंटित किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
116	suk-1604/3	सीताबाई / गंगाराम / सुकवा	पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत।	---	---	आवेदक द्वारा निवासरत होने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर अनुदान संबंधी कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।	
117	suk-1603/2	गजानन्द / देवराम / सुकवा	कच्चा कुंआ छुटने बाबत।	---	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से स्थल निरीक्षण पश्चात् प्रस्ताव लिया जाना उचित होगा।	
118	suk-137/3	विरेन्द्र / चिंताराम / सुकवा	परिवार सूची में नाम जोड़ने बाबत।	---	---	परिवार सूची में 18 वर्ष से कम उम्र होने के कारण आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

119	suk-1198	देवीसिंह / गुलाबसिंह / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	---	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
120	SUK-108	छज्जू / नान्या / सुकवा	घर का मुआवजा रु. 25000 से कम बनने पर कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-330 रु0 दी जा चुकी है।	---		
121	suk-1654/3	शांताबाई / बेवा नंदराम / सुकवा	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान, मुआवजा व अनुदान की राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत्।	आवेदिका को पुनर्वास अनुदान क्रं.-158 रु0 43700 दी जा चुकी है।	---	पुनर्वास अनुदान की संपूर्ण राशि का भुगतान किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
122	suk-1701/1	बसकरबाई / शिवकरण / सुकवा	मेरे घर का भू-अर्जन करने बाबत्।	---	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्रि नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

123	suk-1719/1	गड्डीबाई, लिम्बाजी, कड़वाजी / गजानंद / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	---	---	आवेदक के पिता का नाम बालिग पुत्र में दर्ज है तथा अनुदान दिया गया है। आवेदकों का नाम पोता पोती के रूप में दर्ज होने के कारण अनुदान की पात्रता नहीं आती है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
124	suk-1718/4	सुनिता / शंकर / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	---	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
125	suk-1717/4	संगीता / शोभाराम / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	---	---	18 वर्ष से कम उम्र होने के कारण आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है।	
126	suk-1716/4	प्रकाश / नानकराम / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	---	---	नानकराम का बालिक पुत्र के रूप में नाम दर्ज होने के रूप में प्रकाश (पोता) होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं आती। अतः आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

127	SUK-1711	द्वारकीबाई / आशाराम / सुकवा	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबद्	अनुसार आवेदिका के पति के नाम से पात्रता अनुसार (मकान की राशि) मुआवजा गणना पत्रक क्र. 169 पर 23703 राशि रू. एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 249 पर राशि रू. 24461 की राशि का भुगतान किया गया है।	—	आवेदिका के पति आशाराम को पात्रता अनुसार मकान का मुआवजा मूल्यांकन विभाग द्वारा किये गये मूल्यांकन उपरांत उचित एवं पर्याप्त दिया गया है एवं पुनर्वास अनुदान का लाभ भी दिया गया है अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
128	SUK-1710	लक्ष्मीबाई / सुखराम / सुकवा	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबद्	अनुसार आवेदक को पात्रता अनुसार (मकान की राशि) मुआवजा गणना पत्रक क्र. 262 पर राशि रू. 93825 एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 397 पर राशि रू. 43700 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक को पात्रता अनुसार मकान का मुआवजा मूल्यांकन विभाग द्वारा किये गये मूल्यांकन उपरांत उचित एवं पर्याप्त दिया गया है एवं पुनर्वास अनुदान का लाभ भी दिया गया है अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
129	suk-1709/1	भूराजी / शंकर / सुकवा	मेरे घर का भू-अर्जन करने बाबत्।	—	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्रि नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

130	SUK-1708	भुवानीसिंह / ऊंकार / सुकवा	मेरे घर का भू-अर्जन करने बाबद् ।	अनुसार मकान का मुआवजा एवं पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया है।		कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 32 बडवाह प्रस्तावक विभाग के प्रस्ताव में मकान शामिल न होने से मकान का अर्जन नहीं किया गया। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
131	SUK-1707	सालकराम / गागू / सुकवा	मेरे घर का भू-अर्जन करने बाबद् ।	अनुसार आवेदक को पात्रता अनुसार (मकान की राशि) मुआवजा गणना पत्रक क्र. 277 पर 44267 /- रु. एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 425 पर राशि रु. 43700 /- का भुगतान किया गया है।		आवेदक को पात्रता अनुसार मकान का मुआवजा मूल्यांकन विभाग द्वारा किये गये मूल्यांकन उपरांत उचित एवं पर्याप्त दिया गया है एवं पुनर्वास अनुदान का लाभ भी दिया गया है अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
132	SUK-1706-1	पप्पू / काशीराम / सुकवा	मेरे घर का भू-अर्जन करने बाबद्	अनुसार आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 124 पर राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया है।		कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 32 बडवाह प्रस्तावक विभाग के प्रस्ताव में मकान शामिल न होने से मकान का अर्जन नहीं किया गया। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

133	SUK-1705	नानकराम / बुधिया / सुकवा	मेरे घर का भू-अर्जन करने बाबत्	अनुसार आवेदक को पात्रता अनुसार मुआवजा गणना पत्रक क्र. 205 पर 37840/- रु. मकान की राशि एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 320 पर राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया है।	-	आवेदक को पात्रता अनुसार मकान का मुआवजा मूल्यांकन विभाग द्वारा किये गये मूल्यांकन उपरांत उचित एवं पर्याप्त दिया गया है एवं पुनर्वास अनुदान का लाभ भी दिया गया है अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
134	suk-1677/3	फत्तू / गोटिया / सुकवा	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान, मुआवजा व अनुदान की राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-231 रु0 23700 दी जा चुकी है।	---	पुनर्वास अनुदान की संपूर्ण राशि का भुगतान किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
135	suk-1702/1	नन्नू / टीकाराम / सुकवा	मेरे घर का भू-अर्जन करने बाबत्।	---	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

136	suk-1678/3	रमेश / मंशाराम / सुकवा	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान, मुआवजा व अनुदान की राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत्।	---	---	परिवार सूँची के मुखिया के रूप में मंशाराम पिता चुन्नीलाल का नाम दर्ज है तथा बालिग पुत्र में रमेश पिता मंशाराम का नाम दर्ज है। अतः मुकेश, राकेश पिता रमेश का नाम नाती के रूप में दर्ज होने से अनुदान की पात्रता नहीं आती आवेदन पत्र निरस्त योग्य है।	
137	suk-1698/1	सुशिलाबाई / बेवा सालकराम / सुकवा	मेरे घर का भू-अर्जन करने बाबत्।	---	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
138	suk-1694/1	कड़वीबाई / शोभाराम / सुकवा	मेरे घर का भू-अर्जन करने बाबत्।	---	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
139	SUK-1693	बलीराम / बाबू / सुकवा	100 150 फीट खलिहान का मुआवजा देने बाबत्।	आवेदक को मकान एवं भूखंड का मुआवजा आबादी गणना पत्रक क्रमांक 194 पर दर्शाये अनुसार स्वयं के नाम से 79957 रु. दिया गया है।	-	आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

140	suk-1692/3	दिनेश / गोपाल / सुकवा	घर का मुआवजा रु. 25000 से कम बनने पर कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-339 रु0 94800 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को खाता क्रं.-339 कंडिका-7.2 की राशि का भुगतान किया गया है।	
141	SUK-1690	महिपाल / नानकराम / सुकवा	परिवार के सदस्यों को मकान का मुआवजा अनुदान राशि एवं प्लॉट देने बाबत्।	आवेदक के पिता नानकराम पिता बोंदर के नाम पर आबादी गणना पत्रक क्रमांक 211 पर दर्शाये अनुसार मकान का मुआवजा 58602 रु. दिया गया है। एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 332 पर 43700 रु. पुनर्वास अनुदान दिया गया है।	-	आवेदक को उसके मकान का मुआवजा पिता के नाम एवं अनुदान स्वयं के नाम 43,700 रु. दिया गया है। जिसमें भूखंड के बदले नगद राशि भी दी गई है अतः भूखंड की पात्रता नहीं है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
142	suk-1689/1	नानकराम / बोंदर / सुकवा	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान, मुआवजा व अनुदान की राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-330 रु0 23700 दी जा चुकी है।	---	पुनर्वास अनुदान की नीति की पात्रता अनुसार भुगतान किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

143	suk-1688/3	रामपाल / नानकराम / सुकवा	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान, मुआवजा व अनुदान की राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-331 रू0 43700 दी जा चुकी है।	---	पुनर्वास अनुदान की संपूर्ण राशि का भुगतान किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
144	suk-1683	संदीप / जगन्नाथ / सुकवा	पुनर्वास अनुदान देने बाबत।	आवेदक के पिता को पुनर्वास अनुदान क्रं.-65 रू0 34350 दी जा चुकी है।	---	18 वर्ष से कम उम्र होने के कारण आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है।	
145	suk-1682	छायाबाई / जगन्नाथ / सुकवा	पुनर्वास अनुदान देने बाबत।	आवेदिका के पिता को खाता क्रं.-65 रू0 34350 दी जा चुकी है।	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदिका का नाम न होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
146	suk-1681	बाबीताबाई / जगन्नाथ / सुकवा	पुनर्वास अनुदान देने बाबत।	आवेदिका के पिता को पुनर्वास अनुदान क्रं.-65 रू0 34350 दी जा चुकी है।	---	18 वर्ष से कम उम्र होने के कारण आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है।	
147	suk-1680	संतोषबाई / जगन्नाथ / सुकवा	पुनर्वास अनुदान देने बाबत।	आवेदिक के पति को पुनर्वास अनुदान क्रं.-65 रू0 34350 दी जा चुकी है।	---	आवेदिका के पति को मुखिया के रूप में पुनर्वास अनुदान भुगतान किया गया है। अतः आवेदन पत्र निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

148	suk-1720/4	जितेन्द्र / लखन / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	---	---	18 वर्ष से कम उम्र होने के कारण आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है।	
149	suk-1703/1	मंगत / ठाकुर / सुकवा	मेरे घर का भू-अज्ञन करने बाबत्।	---	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्रि नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
150	SUK-1568	सुशीलाबाई / कड़वाजी / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदिका के पिता को अवार्ड आबादी गणना नंबर 24 पर राशि रु. 90768 का भुगतान किया गया।	-----	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदिका का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
151	SUK-1395	महेश / रेवाराम / सुकवा	पुनर्वास अनुदान एवं प्लाट देने बाबत्।	आवेदक के पिता को आवर्ड आबादी गणना पत्रक 213 पर राशि रु. 74350 का भुगतान किया गया।	----	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम क्रमांक 209 पर दर्ज होकर आवेदक की उम्र 17 अंकित होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

152	SUK-705	राधेश्याम / रामलाल / सुकवा वनग्राम	मकान का मुआवजा एवं अनुदान कम मिलने बाबत	अवार्ड क्र० 121 पर 49172 रु० मुआवजा भुगतान किया गया। पुनर्वास अनुदान ग०क्र० 177 पर 43700 रु० दिया गया।	—	आवेदक को पात्रतानुसार मुआवजा एवं अनुदान दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
153	SUK-678	मन्नु / शंकर / सुकवा वनग्राम	मकान का मुआवजा कम बनने हेतु	अवार्ड क्र० 100 पर 13175 रु० मुआवजा दिया गया एवं पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 141 पर 88000 रु० का भुगतान किया गया।	—	आवेदक को कंडिका 7.2 मकान के अंतर की राशि दी जा सकती है।	
154	SUK-659	राजु / नर्मदाशंकर / सुकवा वनग्राम	अनुदान बाबत	आवेदक के पिता को अवार्ड क्र० 220 पर 175290 रु० का मुआवजा भुगतान किया गया।	—	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
155	SUK-639	पुनम / जयराम / सुकवा	पुनर्वास अनुदान बाबत।	आवेदक के पिता जयराम के नाम से अवार्ड आबादी गणना नंबर 252 पर राशि रु. 46116 भुगतान की गई।	----	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
156	SUK-912	देवराम / सीताराम / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग०प्र०क्र० 4 पर 19099 रु० मुआवजा दिया गया है एवं पुनर्वास अनुदान क्रमांक 3 पर 97358 रु० दिया गया है।	---	आवेदक को भूमिहीन कृषि मजदुर के मान से समस्त लाभ पुनर्वास नीति के अनुसार दिये जा चुके हैं। आवेदन पत्र निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

157	SUK-1573	राधेश्याम / चेताराम / सुकवा	भूमिहीन के रूप में अनुदान देने बाबत	आवेदक को एफआरएल आबादी ग0प्र0क्र0 22 पर राशि 35489 रू0 एवं पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 23 पर 53962 रू0 एवं भूखण्ड दिया जा चुका है।	---	आवेदक को उसकी पात्रतानुसार अनुदान दिया जा चुका है। आवेदन निरस्ती योग्य है।	
158	SUK-914	परसराम / ठाकुर / सुकवा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिय जाने बाबत	आवेदक के पिता को एफआरएल आबादी ग0प्र0क्र0 284 पर राशि 35930 रू0 एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 16 पर 67500 रू0 दिया जा चुका है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
159	SUK-1431	जयराम / सीताराम / सुकवा	विस्थापित परिवारों के सदस्यों को मकान मुआवजा एवं अनुदान राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत	आवेदक को एफआरएल आबादी ग0प्र0क्र0 145 पर राशि 69938 रू0 एवं पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 213 पर 23700 रू0 एवं भूखण्ड दिया जा चुका है।	---	आवेदन निरस्ती योग्य है।	
160	SUK-1430	भालू / भाईराम / सुकवा	विस्थापित परिवारों के सदस्यों को मकान मुआवजा एवं अनुदान राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत	आवेदक को ग्राम इंधावड़ी में मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 117 में 8206 रू0 दिया जा चुका है।	---	आवेदक ग्राम इंधावड़ी का निवासी है। उसे ग्राम इंधावड़ी में मुआवजा दिया गया है। आवेदक की ग्राम सुकवा में काई संपत्ति का अज्ञान नहीं किये जाने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

161	SUK-1429	किशोर / चेताराम / सुकवा	विस्थापित परिवारों के सदस्यों को मकान मुआवजा एवं अनुदान राशि एवं प्लट प्रदाय करने बाबत	आवेदक को ग्राम इंधावडी में मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 116 में 14306 रु० दिया जा चुका है।	---	आवेदक ग्राम इंधावडी का निवासी है। उसे ग्राम इंधावडी में मुआवजा दिया गया है। आवेदक की ग्राम सुकवा में कोई संपत्ति का अज्ञान नहीं किये जाने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	
162	SUK-1428	प्रकाश / तोताराम / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग०प्र०क्र० 5 पर राशि 18395 रु० एवं पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 2 पर 98062 रु० दिया जा चुका है।	---	आवेदक को भूमिहीन के मान से पात्रतानुसार अनुदान दिया गया है। आवेदन निरस्ती योग्य है।	
163	SUK-1397	बंशी / दुबलिया / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को आबादी अवार्ड गणना नंबर 229 पर राशि रु. 27387 का भुगतान किया गया।	----	जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान के संबंध में इस कार्यालय के पास कोई प्रावधान नहीं है।	
164	SUK-1895/1	ललिताबाई / बेवा लक्ष्मण / सुकवा	मेरे घर का भू-अर्जन करने बाबत।	---	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्रि नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

165	SUK-60	गुलाब / रतन / सुकवा	धर का मुआवजा 20000 से कम बनने पुर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 11 क अनुसार निजीभूमि में 759279 वि०पु०अ० 3034 रू० 43700 रू० दी गई है। एवं आवेदक को आबादी ग०प्र०क्र० 180 पर 477436 रू० मकान का एवं आबादी भूखण्ड का दिया जा चुका है।	---	आवेदक को कडिका 7.2 राषि की पात्रता नहीं है। आवेदन निरस्ती योग्य है।	
166	suk-915	इन्दोरिया / भूकन / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-150 रू० 23700 दी जा चुकी है।	---	परिवार की अंतिम सूची में नाम न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।	
167	suk-1896/1	छन्दईबाई / बेवा मांगीलाल / सुकवा	मेरे घर का भू-अर्जन करने बाबत्।	---	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्रि नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
168	suk-1897/1	बसंतीबाई / बेवा शंकर / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रू. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	---	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

169	suk-1904/1	रामगोपाल / बाबा / सुकवा	मकान का मुआवजा राशि कम मिलने बाबत्।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 157 पर राशि रू0 45149 दी जा चुकी है।	---	मूल्यांकन विभाग के प्रस्ताव के आधार पर मकान का मुआवजा दिया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
170	suk-1905/1	दयाबाई / बाबा / सुकवा	मकान का मुआवजा राशि कम मिलने बाबत्।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 159 पर राशि रू0 32487 दी जा चुकी है।	---	मूल्यांकन विभाग के प्रस्ताव के आधार पर मकान का मुआवजा दिया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
171	suk-1809/1	नानकराम / बोंदर / सुकवा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत्	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-330 रू0 23700 दी जा चुकी है।	---		
172	SUK-815	केशव / बाबु / सुकवा वनग्राम	प्लॉट देने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग0प्र0क्र0 160 पर राशि 44760 रू0 एवं पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 237 पर 43700 रू0 दिया जा चुका है।	-	आवेदक को भूखंड के बदले नगद राशि 20,000 रू0 भुगतान की गई है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
173	suk-1849/4	सुभद्राबाई / बंशी / सुकवा	घर का मुआवजा रू. 25000 से कम बनने पर कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदिका को पुनर्वास अनुदान क्रं.-287 रू0 43700 दी जा चुकी है।	---	इंदिरा आवास के तहत पुनर्वास नीति की कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि दिया जाना उचित है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

174	SUK-1394	तुलसीराम / पुंजन / सुकवा	पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत्।	आवेदक को निजी अवार्ड गणना नंबर 25 पर राशि 215141 रु० एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक नंबर 348 पर राशि रु. 43700 का भुगतान किया जिसमें भूखण्ड की राशि रु. 20000 शामिल है।	---	आवेदन निरस्ती योग्य है।	
175	SUK-963	सुनिल / सालकराम / सुकवा	अनुदान प्लॉट देने बाबत्	आवेदक के पिता को एफआरएल आबादी ग0प्र0क्र0 277 पर राशि 44267 रु० दिया जा चुका है।	--	आवेदक की उम्र परिवार सूची में 17 वर्ष दर्ज होने से आवेदक को अनुदान एवं प्लॉट की पात्रता नहीं आती है। आवेदन निरस्ती योग्य है।	
176	SUK-944	रामनारायण / देवराम / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक के पिता को एफआरएल आबादी ग0प्र0क्र0 4 पर राशि 19099 रु० एवं पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 5 पर 93000 रु० दिया जा चुका है।	--	आवेदक को पुनर्वास नीति के अनुसार भूमिहीन मजदुर के समस्त लाभ प्रदाय किये जा चुके हैं। आवेदन निरस्ती योग्य है।	
177	SUK-943	शिवनारायण / देवराम / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक के पिता को एफआरएल आबादी ग0प्र0क्र0 4 पर राशि 19099 रु० एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 4 पर 93000 रु० दिया जा चुका है।	--	आवेदक को पुनर्वास नीति के अनुसार भूमिहीन मजदुर के समस्त लाभ प्रदाय किये जा चुके हैं। आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत							
178	SUK-932	गीताबाई / महेन्द्र / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग0प्र0क्र० 289 पर राशि 43216 रु० एवं पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 222 पर 93000 रु० दिया जा चुका है।	---	आवेदक को पुनर्वास नीति के अनुसार भूमिहीन मजदुर के समस्त लाभ प्रदाय किये जा चुके हैं। आवेदन निरस्ती योग्य है।	
179	SUK-920	राधेश्याम / जयराम / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को एफआरएल आबादी ग0प0क्र० 250 में राशि 44286 रु० दिया गया है। पुनर्वास अनुदान क्र० 382 पर 93000 रु० दिया गया है।	---	आवेदक को पुनर्वास नीति के अनुसार भूमिहीन मजदुर के समस्त लाभ प्रदाय किये जा चुके हैं। आवेदन निरस्ती योग्य है।	
180	SUK-915	ठाकुर / चतुर / सुकवा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग0प्र0क्र० 284 पर राशि 35930 रु० एवं पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 16 पर 67500 रु० दिया जा चुका है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
181	suk-341	शांतिलाल / श्यामलाल / सुकवा	घर का मुआवजा रु. 25000 से कम बनने पर कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-136 रु० 43700 दी जा चुकी है।	---	इंदिरा आवास के तहत पुनर्वास नीति की कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि दिया जाना उचित है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

182	SUK-1202	रविन्द्र / नानकराम / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक के पिता को एफआरएल आबादी ग0प्र0क्र0 79 पर राशि 55612 रु0 एवं पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 104 पर 43700 रु0 दिया जा चुका है।	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम न होने से अनुदान की पात्रता नहीं है। आवेदन निरस्ती योग्य है।	
183	SUK-1396	रेवाराम / गोपाल / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक नंबर 337 पर राशि रु. 73000/-	----	जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान संबंधित इस कार्यालय के पास कोई प्रावधान नहीं है।	
184	SUK-1224	हरेसिंग / लालसिंग / सुकवा	पुनर्वास अनुदान देने बाबत्	---	---	आवेदक की किसी भी संपत्ति का अर्जन नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	
185	SUK-1223	कड़वा / गंगाराम / सुकवा	अनुदान देने बाबत्	---	---	आवेदक की किसी भी संपत्ति का अर्जन नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

186	SUK-1222	संतोष एवं मोगरबाई / सकाराम / सुकवा	पुनर्वास अनुदान बाबत्	आवेदकों के पिता को एफआरएल आबादी ग0प्र0क्र० 204 पर राशि 88332 रू० दिया जा चुका है।	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम क्रमांक 253 पर दर्ज होकर आवेदकों की उम्र क्रमशः 14 एवं 10 अंकित होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
187	SUK-1221	दिनेश / काशीराम / सुकवा	अनुदान देने बाबत्	आवेदक के पिता को एफआरएल आबादी ग0प्र0क्र० 243 पर राशि 85108 रू० दिया जा चुका है।	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम क्रमांक 56 पर दर्ज होकर आवेदक की उम्र 15 अंकित होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
188	SUK-1226	दिलेरसिंह / रुखड़िया / सुकवा	पुनर्वास अनुदान	---	---	आवेदक की किसी भी संपत्ति का अर्जन नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	
189	SUK-1203	अखिलेश / नानकराम / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रू. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक के पिता को एफआरएल आबादी ग0प्र0क्र० 79 पर राशि 55162 रू० एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 105 पर 43700 रू० दिया जा चुका है।	---	पात्रता नहीं होने से आवेदन पत्र निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

190	SUK-1227	केलाशसिंह / हरेसिंह / सुकवा	अनुदान देने बाबत	---	---	आवेदक की किसी भी संपत्ति का अर्जन नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	
191	SUK-1126	नीलाबाई / बाबू / सुकवा	धर का मुआवजा एवं अनुदान मिलने बाबत	आवेदक के पिता को टापू ग०प०क्र० 27 पर 272562 रू० दिया गया है।	जीआरए प्रकरण क्रमांक 25403 दिनांक 04.05.09 द्वारा आवेदिका के पित बाबू का आवेदन पत्र अमान्य किया गया है।	पात्रता नहीं होने से निरस्त योग्य है	
192	SUK-1124	चंपालाल / बाबूलाल / सुकवा	धर का मुआवजा एवं अनुदान मिलने बाबत	आवेदक को उसके धर का मुआवजा टापू के अंतर्गत ग०प०क्र० 27 पर 272562 रू० दिया गया है।	जीआरए प्रकरण क्रमांक 25403 दिनांक 04.05.09 द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र अमान्य किया गया है।	आवेदन पत्र निरस्ती योग्य है।	
193	SUK-1012	कालू / करसन / सुकवा	जमीनक के बदले जमीन एवं विशेष पैकेज देने बाबत	आवेदक को संयुक्त खाते में एफआरएल कृषि ग०प्र०क्र० 3 पर राशि 873085 रू० एवं वि० पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 3 पर 5068 रू० दिया जा चुका है।	जीआरए में जमीन के बदले जमीन का प्रकरण प्रचलित है।	जीआरए में प्रकरण प्रचलित है	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

194	SUK-1011	नंदराम / करसन / सुकवा	जमीन के बदले जमीन या पैकेज देने बाबत्	आवेदक को संयुक्त खाते में एफआरएल कृषि ग0प्र0क्र0 3 पर राशि 873085 रू0 एवं वि0 पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 3 पर 5068 रू0 दिया जा चुका है।	जीआरए में जमीन के बदले जमीन को प्रकरण प्रचलित है।	जीआरए में प्रकरण प्रचलित है।	
195	SUK-1004	नानकराम / गागू / सुकवा	परिवहन राशि मिलने बाबत्	आवेदक को एफआरएल आबादी ग0प्र0क्र0 276 पर राशि 22329 रू0 एवं पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 424 पर 43700 रू0 दिया जा चुका है।	--	आवेदक को परिवहन की राशि का भुगतान किया जा सकता है।	
196	SUK-1001	नानकराम / चंपालाल / सुकवा	जमीन के बदले जमीन एवं विशेष पैकेज देने बाबत्	आवेदक को एफआरएल निजी ग0प्र0क्र0 38 पर राशि 255731 रू0 एवं पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 104 पर 43700 रू0 दिया जा चुका है।	जीआरए में जमीन के बदले जमीन का प्रकरण प्रचलित है।	जीआरए में प्रचलित है।	
197	SUK-1204	कु.रीना / नानकराम / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक के पिता को एफआरएल आबादी ग0प्र0क्र0 79 पर राशि 55612 रू0 एवं पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 104 पर 43700 रू0 दिया जा चुका है।	--	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदिका का नाम क्रमांक 66 पर दर्ज होकर आवेदक की उम्र 16 अंकित होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

198	SUK-1234	सुखलाल / भावसिंग / सुकवा	पुनर्वास अनुदान देने बाबत्	---	---	आवेदक की किसी भी संपत्ति का अर्जन नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	
199	SUK-1393	राधेश्याम / तुलसीराम / सुकवा	विस्थापित परिवार को मकान, अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत्	आवेदक के पिता को आबादी में ग०प०क्र० 25 पर 215141 रू० मुआवजा एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान ग०प०क्र० 351 पर 43700 रू० दिया जा चुका है।	---	आवेदक को पात्रतानुसार अनुदान दिया जा चुका है।	
200	SUK-1334/3	गोपाल / भाईराम / सुकवा	प्लॉट प्रदाय किये जाने बाबत्	आवेदक के पिता को एफआरएल आबादी ग०प्र०क्र० 275 पर राशि 20933 रू० एवं आवेदक पुनर्वास अनुदान ग.प. क्र. 421 पर 43700 रू० दिया जा चुका है।	---	आवेदक द्वारा भूखण्ड के बदले नगद राशि प्राप्त कर ली गई है। अतः पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	
201	SUK-1292	गोरेलाल / सुजान / सुकवा	पुनर्वास अनुदान देने बाबत्	---	---	आवेदक की किसी भी संपत्ति का अर्जन नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

202	SUK-1254	मनीषा / रामकरण / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदिका के पिता को एफआरएल आबादी ग0प्र0क्र0 20 पर राशि 54814 रु0 एवं पुनर्वास अनुदान ग.प.क्र. 165 पर 23700 रु0 दिया जा चुका है।	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम क्रमांक 99 पर दर्ज होकर आवेदक की उम्र 16 अंकित होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
203	SUK-1237	भारसिंह / मोहन / सुकवा	पुनर्वास अनुदान देने बाबत्	---	---	आवेदक की किसी भी संपत्ति का अर्जन नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	
204	SUK-1225	कमलसिंग / खेमसिंग / सुकवा	पुनर्वास अनुदान बाबत्	---	---	आवेदक की किसी भी संपत्ति का अर्जन नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	
205	SUK-1235	मालसिंग / गिलदार / सुकवा	पुनर्वास अनुदान देने बाबत्	---	---	आवेदक की किसी भी संपत्ति का अर्जन नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

206	suk-335	बलीराम / बाबु / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	---	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
207	SUK-1233	नरसिंग / खेमा / सुकवा	अनुदान देने बाबत्	---	---	आवेदक की किसी भी संपत्ति का अर्जन नहीं होने से पुनर्वास अनदान की पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	
208	SUK-1232	जतन / अमरसिंह / सुकवा	अनुदान देने बाबत्	---	---	आवेदक की किसी भी संपत्ति का अर्जन नहीं होने से पुनर्वास अनदान की पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	
209	SUK-1231	जयराम / माजू / सुकवा	अनुदान देने बाबत्	---	---	आवेदक की किसी भी संपत्ति का अर्जन नहीं होने से पुनर्वास अनदान की पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	
210	SUK-1230	गणपत / अमरसिंह / सुकवा	पुनर्वास अनुदान देने बाबत्	---	---	आवेदक की किसी भी संपत्ति का अर्जन नहीं होने से पुनर्वास अनदान की पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

211	SUK-1229	रामदास / नत्थु / सुकवा	अनुदान देने बाबत	---	---	आवेदक की किसी भी संपत्ति का अर्जन नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	
212	SUK-1228	मालसिंह / बन्दू / सुकवा	अनुदान देने बाबत	---	---	आवेदक की किसी भी संपत्ति का अर्जन नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	
213	SUK-1236	भुवानसिंह / कलसिंह / सुकवा	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	---	---	आवेदक की किसी भी संपत्ति का अर्जन नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	
214	suk-1816/1	शंकर / पिथु / सुकवा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-387 रू0 43700 दी जा चुकी है।	---	पुनर्वास अनुदान की संपूर्ण राशि का भुगतान किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
215	suk-1811/1	दशरथ / शंकर / सुकवा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-184 रू0 43700 दी जा चुकी है।	---	पुनर्वास अनुदान की संपूर्ण राशि का भुगतान किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

216	SUK-1813	नानकराम / बोंदर / सुकवा	पाईप लाईन जोडने बाबत्	अनुसार आवेदक के मुआवजा गणना पत्रक क्र. 211 में पाईप लाईन दर्ज नहीं है।	—	आवेदक को पात्रता अनुसार मकान एवं कुएं का मुआवजा मूल्यांकन विभाग द्वारा किये गये मूल्यांकन उपरांत उचित एवं पर्याप्त दिया गया है एवं पाईप लाईन का प्रस्ताव प्रस्तावक विभाग से प्राप्त न होने से नहीं दिया गया। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
217	suk-912	सुभद्राबाई / बंशी / सुकवा	घर का मुआवजा रु. 20000 से कम बनने पर कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 189 पर राशि रु0 15791 दी जा चुकी है।	---	परिवार सूची में नाम नहीं होने के कारण आवेदिका का आवेदन निरस्त योग्य है।	
218	suk-1815/1	गंगाबाई / बेवा बलिराम / सुकवा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत्	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-35 रु0 14350 दी जा चुकी है।	---	भखण्ड क्रं.-बी-63 इनपुन पुनर्वास स्थल पर दिनांक 17.08.06 को आवंटित	
219	SUK-1894/3	दीपक / हरिराम / सुकवा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	---	---	18 वर्ष से कम उम्र होने के कारण आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

220	suk-1817/1	पतिराम / छगन / सुकवा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-257 रु0 43700 दी जा चुकी है।	---	पुनर्वास अनुदान की संपूर्ण राशि का भुगतान किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
221	suk-1818/1	गोविंद / शंकर / सुकवा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-181 रु0 45665 दी जा चुकी है।	---	पुनर्वास अनुदान की संपूर्ण राशि का भुगतान किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
222	suk-1819/1	हरिकरण / नत्थू / सुकवा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-37 रु0 14350 दी जा चुकी है।	---		
223	SUK-1831	भीमसिंह / मोहन / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत एवं प्लाट बाबत ।	अनुसार आवेदिका का नाम परिवार सूची क्रमांक 237 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 380 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 93000 का भुगतान किया गया है।	-	भूमिहीन को दी जाने वाली कंडिका 9.1 की राशि पात्रता अनुसार 49,300 रु. का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में 2.50 लाख रुपये का पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है आवेदक के चाहने पर पुनर्वास स्थल बीड, गुयड़ा एवं इंधावडी में भूखंड रिक्त होने पर राशि जमा करने पर उपलब्ध कराया जा सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

224	SUK-1832	संगीता / हरेसिंग / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	अनुसार आवेदिका के पिता हरेसिंग के नाम से पात्रता अनुसार (टापू पर स्थित) मकान की राशि मुआवजा गणना पत्रक क्र. 53 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 21524 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदिका धारा 4 के प्रकाशन के लगभग 1 वर्ष पूर्व से ग्राम के डूब क्षेत्र में निवासरत नहीं थी। इसलिये उसे पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है तथा वर्तमान में 2.50 लाख के पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है।	
225	SUK-1833	लाखन / हरेसिंग / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.50 रुपये का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	अनुसार आवेदक के पिता के नाम से पात्रता अनुसार (टापू में स्थित) मकान की राशि मुआवजा गणना पत्रक 53 पर दर्शाये अनुसार 21524 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक धारा-4 के प्रकाशन के लगभग 1 वर्ष पूर्व से ग्राम के डूब क्षेत्र में निवासरत नहीं था। इसलिये उसे पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है एवं वर्तमान में 2.50 लाख देने का प्रावधान नहीं है।	
226	SUK-1834	हरेसिंग / सोजर / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	अनुसार आवेदक के पिता हरेसिंग के नाम से पात्रता अनुसार (टापू पर स्थित) मकान की राशि मुआवजा गणना पत्रक क्र. 53 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 21534 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक धारा 4 के प्रकाशन के लगभग 1 वर्ष पूर्व से ग्राम के डूब क्षेत्र में निवासरत नहीं थी। इसलिये उसे पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है तथा वर्तमान में इस पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

227	SUK-1835	सरिताबाई / हरेसिंग / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदिका के पिता हरेसिंग के नाम से पात्रता अनुसार (टापू पर स्थित) मकान की राशि मुआवजा गणना पत्रक क्र. 53 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 21534 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदिका धारा 4 के प्रकाशन के लगभग 1 वर्ष पूर्व से ग्राम के डूब क्षेत्र में निवासरत नहीं थी। इसलिये उसे पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है तथा वर्तमान में 2.50 लाख के पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है।	
228	SUK-1838	बबीता / हरेसिंग / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदिका के पिता हरेसिंग के नाम से पात्रता अनुसार (टापू पर स्थित) मकान की राशि मुआवजा गणना पत्रक क्र. 53 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 21534 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदिका धारा 4 के प्रकाशन के लगभग 1 वर्ष पूर्व से ग्राम के डूब क्षेत्र में निवासरत नहीं थी। इसलिये उसे पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है तथा वर्तमान में 2.50 लाख के पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है।	
229	SUK-1858/1	हरिकरण / बाबू / सुकवा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-169 रु० 43700 दी जा चुकी है।	---	पुनर्वास अनुदान की संपूर्ण राशि का भुगतान किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

230	SUK-1840	पूजा / विजय / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	अनुसार आवेदिका के पिता विजय के नाम से पात्रता अनुसार (टापू पर स्थित) मकान की राशि मुआवजा गणना पत्रक क्र. 52 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 29840 का भुगतान किया गया है एवं पि.नि.प्रा.भोपाल द्वारा मान्य पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 2 पर दर्शाये अनुसार 93000/- दिये गये है।	—	आवेदिका धारा 4 के प्रकाशन के लगभग 1 वर्ष पूर्व से ग्राम के डूब क्षेत्र में निवासरत नहीं थी। इसलिये उसे पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है तथा वर्तमान में इस पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है।	
231	suk-1814/1	नानकराम / मांगीलाल / सुकवा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत्	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-309 रु0 46936 दी जा चुकी है।	---	पुनर्वास अनुदान की संपूर्ण राशि का भुगतान किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
232	SUK-1842	अजय / विजय / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को पि.नि.प्रा.भोपाल द्वारा मान्य पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 3 पर दर्शाये अनुसार 93000 का भुगतान किया गया है।	—	भूमिहीन को दी जाने वाली कंडिका 9.1 की राशि पात्रता अनुसार 49,300 रु. का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में 2.50 लाख रूपये का पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

233	SUK-1859/1	कालु / इसराम / सुकवा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-370 रू0 44257 दी जा चुकी है।	---	पुनर्वास अनुदान की संपूर्ण राशि का भुगतान किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
234	SUK-1861	शंकरलाल / बाबू / सुकवा	घर का मुआवजा रू. 25000 से कम बनने पर कंडिका-7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-371 रू0 100706 दी जा चुकी है।	---	आवेदक को गणना खाता क्रं. -371 कंडिका-7.2 की राशि का भुगतान किया गया है।	
235	SUK-1856/1	नंदराम / जयसिंह / सुकवा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-327 रू0 दी 43700 जा चुकी है।	---	पुनर्वास अनुदान की संपूर्ण राशि का भुगतान किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
236	SUK-1863/1	गुलाबबाई / जगन / सुकवा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-346 रू0 43700 दी जा चुकी है।	---	पुनर्वास अनुदान की संपूर्ण राशि का भुगतान किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
237	SUK-1862	बाबू / राग्या / सुकवा	100 150 फीट खलिहान का मुआवजा देने बाबत।	आवेदक को मकान एवं भूखंड का मुआवजा आबादी गणना पत्रक क्रमांक 113 पर दर्शाये अनुसार स्वयं के नाम से 42,862 रू. दिया गया है।	-	आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

238	SUK-1862-1	नानकराम / बोंदर / सुकवा	पाईप लाईन छोडने बाबत् ।	आवेदक को पात्रता अनुसार मकान, कुंआ, भूमि, एवं फलदार वृक्षों के लिये कृषि गणना पत्रक क्र. 39 पर दर्षये अनुसार 2,23,416 रु. की राषि का भुगतान किया गया है ।	—	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 32 बडवाह प्रस्तावक विभाग के प्रस्ताव में पाईप लाईन शामिल न होने से पाईप लाईन का मुआवजा नही दिया गया । अतः मकान एवं कुंए का मुआवजा मूल्यांकन विभाग द्वारा किये गये मूल्यांकन उपरांत उचित एवं पर्याप्त दिया गया है अतः आवेदन निरस्ती योग्य है ।	
-----	------------	-------------------------	-------------------------	---	---	--	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

1	SUK-1685	जालमसिंह / हरीराम / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत् साथ ही प्लाट दिया जावे।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची क्रमांक 90 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.146 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया है।	---	आवेदक का व्यवसाय कृषि होने से पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान 43,700 रु. दिया गया जो उचित है। आवेदक को कंडिका 9.1 की पात्रता नहीं है एवं वर्तमान में 2.50 लाख विषे पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है। आवेदक के चाहने पर पुनर्वास स्थल बीड, गुयड़ा एवं इंधावडी में भूखंड रिक्त होने पर राशि जमा करने पर उपलब्ध कराया जा सकता है।	
2	SUK-1746	जीवन / बाबू / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	अनुसार आवेदक को पात्रता अनुसार (मकान की राशि) मुआवजा गणना पत्रक क्र. 237 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 22574 एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 365 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया है।	-	आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान 43,700 रु. का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में इस पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

3	SUK-1684	हरिराम / चंदरसिंह / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत साथ ही प्लाट दिया जाये।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची क्रमांक 90 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.145 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया है।	---	आवेदक का व्यवसाय कृषि होने से पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान 43,700 रु. दिया गया जो उचित है। आवेदक को कंडिका 9.1 की पात्रता नहीं है एवं वर्तमान में 2.50 लाख विषे पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है। आवेदक के चाहने पर पुनर्वास स्थल बीड, गुयड़ा एवं इंधावडी में भूखंड रिक्त होने पर राशि जमा करने पर उपलब्ध कराया जा सकता है।	
4	SUK-1797	कड़वा / टुकड़ा / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक कड़वा पिता टुकड़या के नाम से पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 396 के अनुसार 43,700 रु. प्रदान किया गया है।	---	आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान 43,700 रु. का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में इस पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

5	SUK-1791	छोगालाल / सीताराम / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत ।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची क्रमांक 108 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.178 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 93000 का भुगतान किया गया है।	---	भूमिहीन को दी जाने वाली कंडिका 9.1 की राशि पात्रता अनुसार 49,300 रु. का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में 2.50 लाख रुपये का पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
6	SUK-342	रघुवीर / बलीराम / सुकवा वनग्राम	2.5 लाख का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक को आबादी अवार्ड में 32384 मुआवजा भुगतान किया जा चुका है।	-	आवेदक को नियमानुसार मुआवजा दिया गया है आवेदन निरस्त योग्य है।	
7	SUK-1747	देवराम / सालकराम / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के नाम से स्थित मकान का मुआवजा गणना पत्रक क्र. 237 के अनुसार राशि रु. ,332 रु. एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक 316 पर दर्शाये अनुसार 43700 एवं स्वयं आवेदक के नाम से क्र. 317 पर दर्शाये अनुसार 43,700 रु. की राशि का भुगतान किया गया है।	-	आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान 43,700 रु. का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में इस पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

8	SUK-1745	रितु / चैतराम / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची क्रमांक 149 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 235 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया है।	--	आवेदक कृषक परिवार की है। अतः पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान 43,700 दिया गया है। जो उचित है। आवेदक को कंडिका 9.1 की पात्रता नहीं है एवं वर्तमान में 2.50 लाख विषे पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
9	SUK-1787	रेखाबाई / विजय / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची में क्र. 146/2 पर दर्ज है। आवेदक के पिता के नाम से पात्रता अनुसार (मकान की राशि) मुआवजा गणना पत्रक क्र. 52 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 29840 एवं आवेदक के नाम से पि.नि.प्रा.भोपाल द्वारा स्वीकृत पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 01 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 93,000/- का भुगतान किया गया है।		आवेदिका को पात्रता अनुसार उचित पुनर्वास अनुदान का लाभ भी दिया गया है वर्तमान में इस पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

10	SUK-1791	गणेश / बंसी / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची में क्र. 224 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार (मकान की राशि) मुआवजा गणना पत्रक क्र. 229 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 27387 एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 362 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 93000 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक को पात्रता अनुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा दिया गया है एवं पुनर्वास अनुदान का लाभ भी दिया गया है वर्तमान में इस पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
11	SUK-1788	अजय / विजय / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची में क्र. 146/2 पर दर्ज है। आवेदक के पिता के नाम से पात्रता अनुसार (टापू पर स्थित) (मकान की राशि) मुआवजा गणना पत्रक क्र. 52 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 29840 एवं आवेदक के नाम से पि.नि.प्रा.भोपाल द्वारा स्वीकृत पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 03 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 93,000/- का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक को पात्रता अनुसार उचित पुनर्वास अनुदान का लाभ भी दिया गया है वर्तमान में इस पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

12	SUK-1795	पप्पू / शंकर / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची में क्र. 88 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार (मकान की राशि) मुआवजा गणना पत्रक क्र. 103 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 66081 एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 143 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 93000 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक को पात्रता अनुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा दिया गया है एवं पुनर्वास अनुदान का लाभ भी दिया गया है वर्तमान में इस पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
13	SUK-1786	दिलीप / भलाजी / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची में क्र. 212 पर दर्ज है। आवेदक के पिता के नाम से पात्रता अनुसार (मकान की राशि) मुआवजा गणना पत्रक क्र. 215 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 67872 एवं आवेदक के नाम से स्वीकृत पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 341 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 43,700/- का भुगतान किया गया है।		आवेदक को पात्रता अनुसार उचित पुनर्वास अनुदान का लाभ भी दिया गया है वर्तमान में इस पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

14	SUK-1785	भलाजी / बाबू / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची में क्र. 212 पर दर्ज है। आवेदक के नाम से पात्रता अनुसार (मकान की राशि) मुआवजा गणना पत्रक क्र. 215 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 67872 एवं स्वीकृत पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 340 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 43,700/- का भुगतान किया गया है।		आवेदक को पात्रता अनुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा दिया गया है एवं पुनर्वास अनुदान का लाभ भी दिया गया है वर्तमान में इस पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
15	SUK-1784	सरिता / हरेसिंह / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदिका के पिता हरेसिंह के नाम से पात्रता अनुसार (टापू पर स्थित) मकान की राशि मुआवजा गणना पत्रक क्र. 53 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 21524 का भुगतान किया गया है।		आवेदिका धारा 4 के प्रकाशन के लगभग 1 वर्ष पूर्व से ग्राम के डूब क्षेत्र में निवासरत नहीं थी। इसलिये उसे पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है तथा वर्तमान में 2.50 लाख के पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

16	SUK-1783	कविता / हरेसिंह / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदिका के पिता हरेसिंह के नाम से पात्रता अनुसार (टापू पर स्थित) मकान की राषि मुआवजा गणना पत्रक क्र. 53 पर दर्शाये अनुसार राषि रु. 21524 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदिका धारा 4 के प्रकाशन के लगभग 1 वर्ष पूर्व से ग्राम के डूब क्षेत्र में निवासरत नहीं थी। इसलिये उसे पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है तथा वर्तमान में इस पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
17	SUK-1789	विजय / शोजर / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची में क्र. 146/2 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार (टापू पर स्थित मकान की राषि) मुआवजा गणना पत्रक क्र. 52 पर दर्शाये अनुसार राषि रु. 29840 एवं (टापू) पर स्थित मकान का पि.नि.प्रा.भोपाल द्वारा पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 02 पर दर्शाये अनुसार राषि रु. 93000 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक को पात्रता अनुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा दिया गया है एवं पुनर्वास अनुदान का लाभ भी दिया गया है वर्तमान में इस पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

18	SUK-1803	सूरज / सुकलाल / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची क्रमांक 207 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 334 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक कृषक परिवार का है। अतः पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान 43,700 दिया गया है। जो उचित है। आवेदक को कंडिका 9.1 की पात्रता नहीं है एवं वर्तमान में 2.50 लाख विषे पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
19	SUK-1798	प्रकाश / तोताराम / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची में क्र. 02 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार (मकान की राशि) मुआवजा गणना पत्रक क्र. 05 पर दर्शाये अनुसार राशि 18,395/—रु. एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 02 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 98,062 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक को पात्रता अनुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा दिया गया है एवं पुनर्वास अनुदान का लाभ भी दिया गया है वर्तमान में इस पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
20	SUK-1809	नानकराम / बोंदर / सुकवा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत्।	—	—	आवेदक को पुनर्वास स्थल भोगावा पर भूखण्ड क्रं.-72 आवंटित किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य हैं	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

21	SUK-1808	रणजीत / चेताराम / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची क्रमांक 149 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 234 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक कृषक परिवार की है। अतः पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान 43,700 दिया गया है। जो उचित है। आवेदक को कंडिका 9.1 की पात्रता नहीं है एवं वर्तमान में 2.50 लाख विषे पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
22	SUK-1807	नन्नु / टिकाराम / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची क्रमांक 36 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 55 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 93000 का भुगतान किया गया है।	—	भूमिहीन को दी जाने वाली कंडिका 9.1 की राशि पात्रता अनुसार 49,300 रु. का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में 2.50 लाख रूपये का पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
23	SUK-1806	किशोर / पूजन / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची क्रमांक 247 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 393 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक कृषक परिवार की है। अतः पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान 43,700 दिया गया है। जो उचित है। आवेदक को कंडिका 9.1 की पात्रता नहीं है एवं वर्तमान में 2.50 लाख विषे पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

24	SUK-1793	कालू / शंकर / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची में क्र. 87 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 142 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 93000 का भुगतान किया गया है।		आवेदक को पात्रता अनुसार उचित पुनर्वास अनुदान का लाभ भी दिया गया है वर्तमान में इस पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
25	SUK-1804	कैलाश / सुकलाल / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची क्रमांक 128 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 201 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 34350 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक का व्यवसाय कृषि होने से पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान 34,350 रु. दिया गया जो उचित है। आवेदक को कंडिका 9.1 की पात्रता नहीं है एवं वर्तमान में 2.50 लाख विशेष पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

26	SUK-1792	भूरा जी / शंकर / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची में क्र. 86 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार (मकान की राशि) मुआवजा गणना पत्रक क्र. 101 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 68571 एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 139 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 93000 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक को पात्रता अनुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा दिया गया है एवं पुनर्वास अनुदान का लाभ भी दिया गया है वर्तमान में इस पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
27	SUK-1802	परसराम / ठाकुर / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची क्रमांक 11 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 16 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 67500 का भुगतान किया गया है।	—	भूमिहीन को दी जाने वाली कंडिका 9.1 की राशि पात्रता अनुसार 33,150 रु. का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में 2.50 लाख रुपये का पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

28	SUK-1801	सकुबाई / चेताराम / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदिका का नाम परिवार सूची क्रमांक 149 पर दर्ज है। आवेदिका को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 233 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदिका का व्यवसाय कृषि होने से पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान 43,700 रु. दिया गया जो उचित है। आवेदिका को कंडिका 9.1 की पात्रता नहीं है एवं वर्तमान में 2.50 लाख विषे पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
29	SUK-1796	छीतू / टीकाराम / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची में क्र. 98 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 164 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 93000 का भुगतान किया गया है।		आवेदक को पात्रता अनुसार उचित पुनर्वास अनुदान का लाभ भी दिया गया है वर्तमान में इस पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
30	SUK-1775	गबरू / मदन / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची में क्र. 177 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 280 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक कृषक परिवार की है। अतः पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान 43,700 दिया गया है। जो उचित है। आवेदक को कंडिका 9.1 की पात्रता नहीं है एवं वर्तमान में 2.50 लाख विषे पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

31	SUK-1794	तोताराम / गडबड / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची में क्र. 124 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार (मकान की राशि) मुआवजा गणना पत्रक क्र. 92 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 92541 एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 195 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया है।		आवेदक को पात्रता अनुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा दिया गया है एवं पुनर्वास अनुदान का लाभ भी दिया गया है वर्तमान में इस पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
32	SUK-1782	देवकाबाई / शंकर / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदिका का नाम परिवार सूची में क्र. 87 में दर्ज है। आवेदिका के पति के नाम से पात्रता अनुसार (मकान की राशि) मुआवजा गणना पत्रक क्र. 102 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 89598 एवं स्वीकृत पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 140 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 93,000/- का भुगतान किया गया है।	-	आवेदिका के पति के नाम से पात्रता अनुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा दिया गया है एवं पुनर्वास अनुदान का लाभ भी दिया गया है वर्तमान में इस पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

33	SUK-1810	दिनेश / बंसी / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची क्रमांक 224 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 363 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 93000 का भुगतान किया गया है।	—	भूमिहीन को दी जाने वाली कंडिका 9.1 की राशि पात्रता अनुसार 49,300 रु. का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में 2.50 लाख रुपये का पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
34	SUK-1738	शंकर / बाबा / सुकवा	मकान का मुआवजा मिलने बाबत	मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 156 पर राशि रु. 67,462 रु. एवं पुनर्वास अनुदान गणना क्रमांक 229 पर 43,700 रु. दिया जा चुका है।	—	आवेदक को पात्रता अनुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा दिया गया है एवं पुनर्वास अनुदान का लाभ भी दिया गया है अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
35	SUK-1797	गब्बरसिंह / धनसिंह / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची में क्र. 60 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार (मकान की राशि) मुआवजा गणना पत्रक क्र.73 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 19778 एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 93 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 103419 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक को पात्रता अनुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा दिया गया है एवं पुनर्वास अनुदान का लाभ भी दिया गया है वर्तमान में इस पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

36	SUK-1996	बलीराम / बाबु / सुकवा	मेरे घर का भू अर्जन करने बाबत	आवेदक को पात्रता अनुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा पत्रक क्रमांक 194 पर राशि 79957 रु. एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 296 पर राशि रु. 43700 रु. का लाभ भी दिया गया है अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	आवेदक को पात्रता अनुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा दिया गया है एवं पुनर्वास अनुदान का लाभ भी दिया गया है अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।		
37	SUK-1843	बीरू / विजय / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदक के पिता विजय के नाम से पात्रता अनुसार (टापू पर स्थित) मकान की राशि मुआवजा गणना पत्रक क्र. 52 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 29840 का भुगतान किया गया है एवं पि.नि.प्रा.भोपाल द्वारा मान्य पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 2 पर दर्शाये अनुसार 93000/- दिये गये है।	आवेदक धारा 4 के प्रकाशन के लगभग 1 वर्ष पूर्व से ग्राम के डूब क्षेत्र में निवासरत नहीं थी। इसलिये उसे पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है तथा वर्तमान में इस पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है।		

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

38	SUK-809	कालीबाई / रतन / सुकवा वनग्राम	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदिका को एफआरएल आबादी ग0प्र0क्र० 161 पर राशि 31650 रू० दिया जा चुका है।	—	आवेदिका को नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्रमांक-152 पर दर्ज मुखिया के रूप में दर्ज हे। दस्तावेजी साक्ष्य एवं जाँच उपरांत नियमानुसार अनुदान दिया जा सकता है।	
39	SUK-726	नानकराम / जयराम / सुकवा वनग्राम	2.5 लाख रू० विशेष अनुदान देने बाबत	अवार्ड क्र० 251 पर 18445 रू० मुआवजा भुगतान किया गया। एवं पुनर्वास अनुदान ग0क्र० 383 पर 103197 रू० दिया गया।	—	आवेदक को पात्रतानुसार मुआवजा एवं अनुदान दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
40	SUK-724	नन्नू / जयराम / सुकवा वनग्राम	2.5 लाख रू० विशेष अनुदान देने बाबत	अवार्ड क्र० 253 पर 21406 रू० मुआवजा भुगतान किया गया। एवं पुनर्वास अनुदान ग0क्र० 385 पर 100236 रू० भुगतान किया गया।	—	आवेदक को पात्रतानुसार मुआवजा एवं अनुदान दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

41	SUK-1844	विजय / शोजर / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	अनुसार आवेदक विजय के नाम से पात्रता अनुसार (टापू पर स्थित) मकान की राशि मुआवजा गणना पत्रक क्र. 52 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 29840 का भुगतान किया गया है एवं पि.नि.प्रा.भोपाल द्वारा मान्य पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 2 पर दर्शाये अनुसार 93000/- दिये गये है।	—	भूमिहीन को दी जाने वाली कंडिका 9.1 की राशि पात्रता अनुसार 49,300 रु. का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में 2.50 लाख रूपये का पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
42	SUK-1706	तोताराम / गडबड / सुकवा	मेरे घर का भू-अर्जन करने बाबत्	अनुसार आवेदक को पात्रता अनुसार मुआवजा गणना पत्रक क्र. 92 पर राशि रु. 92541/- एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 195 पर राशि रु. 43,700/- का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक को पात्रता अनुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा दिया गया है एवं पुनर्वास अनुदान का लाभ भी दिया गया है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
43	SUK-1845	मीनाबाई / विजय / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	अनुसार आवेदिका के पिता विजय के नाम से पात्रता अनुसार (टापू पर स्थित) मकान की राशि मुआवजा गणना पत्रक क्र. 52 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 29840 का भुगतान किया गया है।		आवेदिका धारा 4 के प्रकाशन के लगभग 1 वर्ष पूर्व से ग्राम के डूब क्षेत्र में निवासरत नहीं थी। इसलिये उसे पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है तथा वर्तमान में इस पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

44	SUK-1704	महिपाल / नानकराम / सुकवा	मेरे घर का भू-अर्जन करने बाबत।	अनुसार आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 332 पर राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया है।	—	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 32 बडवाह प्रस्तावक विभाग के प्रस्ताव में मकान शामिल न होने से मकान का अर्जन नहीं किया गया। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
45	1762	बंशी / दुबल्या / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची क्रमांक 224 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 361 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 100307 का भुगतान किया गया है।		भूमिहीन को दी जाने वाली कंडिका 9.1 की राशि पात्रता अनुसार 49,300 रु. का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में 2.50 लाख रुपये का पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
46	SUK-1777	बालकराम / जयराम / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची में क्र. 243 में दर्ज है। आवेदक के नाम से पात्रता अनुसार (मकान की राशि) मुआवजा गणना पत्रक क्र. 249 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 47163 एवं स्वीकृत पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 386 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 73,000/- का भुगतान किया गया है।	—	भूमिहीन को दी जाने वाली कंडिका 9.1 की राशि पात्रता अनुसार 49,300 रु. का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में 2.50 लाख रुपये का पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

47	SUK-1699	नन्नू / मांगीलाल / सुकवा	मेरे घर का भू-अर्जन करने बाबत् ।	अनुसार आवेदक को पात्रता अनुसार मुआवजा गणना पत्रक क्र. 200 पर राशि रु. 73283/- एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 309 पर राशि रु. 46936/- का भुगतान किया गया है।		आवेदक को पात्रता अनुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा दिया गया है एवं पुनर्वास अनुदान का लाभ भी दिया गया है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
48	SUK-1781	मन्नू / शंकर / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची में क्र. 87 में दर्ज है। आवेदक के पति के नाम से पात्रता अनुसार (मकान की राशि) मुआवजा गणना पत्रक क्र. 102 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 89598 एवं स्वीकृत पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 141 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 93,000/- का भुगतान किया गया है।	-	आवेदक के पिता के नाम से पात्रता अनुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा दिया गया है एवं आवेदक एवं उसके पिता के नाम से पृथक पृथक पुनर्वास अनुदान का लाभ भी दिया गया है वर्तमान में इस पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

49	SUK-1696-2	बलीराम / बाबू / सुकवा	मेरे घर का भू-अर्जन करने बाबत् ।	अनुसार आवेदक को पात्रता अनुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा, मुआवजा पत्रक क्रमांक 194 पर राशि रु. 79,957 रु. एवं पुनर्वास अनुदान 1गणना पत्रक क्र. 296 पर राशि रु. 43,700 रु. का लाभ भी दिया गया है।		आवेदक को पात्रता अनुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा दिया गया है एवं पुनर्वास अनुदान का लाभ भी दिया गया है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है	
50	SUK-1696	बलीराम / बाबू / सुकवा	मेरे घर का भू-अर्जन करने करने बाबत् ।	अनुसार आवेदक को पात्रता अनुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा पत्रक क्रमांक 194 पर राशि 79957 रु. एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 296 पर राशि रु. 43700 रु. का लाभ भी दिया गया है।	—	आवेदक को पात्रता अनुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा दिया गया है एवं पुनर्वास अनुदान का लाभ भी दिया गया है अतः आवेदन निरस्ती योग्य है। जमीन के बदले जमीन से संबंधित प्रकरण शिकायत निवारण प्रधिकरण में प्रचलित है।	
51	SUK-1695	रामकरण / बोंदर / सुकवा	मेरे घर का भू-अर्जन करने बाबत्	अनुसार आवेदक को पात्रता अनुसार मुआवजा गणना पत्रक क्र. 165 पर राशि रु. 47,282 रु. एवं पुनर्वास अनुदान क्र. 245 पर राशि रु. 43,700/- का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक को पात्रता अनुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा दिया गया है एवं पुनर्वास अनुदान का लाभ भी दिया गया है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

52	SUK-1812	लखन / टुकडिया / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची क्रमांक 248 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार मकान का मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 259 के अनुसार 46910 एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 394 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक कृषक परिवार की है। अतः पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान 43,700 दिया गया है। जो उचित है। आवेदक को कंडिका 9.1 की पात्रता नहीं है एवं वर्तमान में 2.50 लाख विषे पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
53	SUK-1770	देवराम / सीताराम / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची क्रमांक 3 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार मकान का मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 04 के अनुसार 19099 एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 3 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 97358 का भुगतान किया गया है।	—	भूमिहीन को दी जाने वाली कंडिका 9.1 की राशि पात्रता अनुसार 49,300 रु. का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में 2.50 लाख रुपये का पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

54	SUK-1773	राधेश्याम / रूखडू / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची में क्र. 4 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 6 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 47500 का भुगतान किया गया है।		भूमिहीन को दी जाने वाली कंडिका 9.1 की राशि पात्रता अनुसार 33,150 रु. का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में 2.50 लाख रुपये का पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
55	SUK-1774	शेरू / सुखलाल / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची में क्र. 207 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 335 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक कृषक परिवार की है। अतः पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान 43,700 दिया गया है। जो उचित है। आवेदक को कंडिका 9.1 की पात्रता नहीं है एवं वर्तमान में 2.50 लाख विषय पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
56	SUK-1839	सविता / हरेसिंग / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष पुनर्वास अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदिका के पिता हरेसिंग के नाम से पात्रता अनुसार (टापू पर स्थित) मकान की राशि मुआवजा गणना पत्रक क्र. 53 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 21524 का भुगतान किया गया है।	—	धारा 4 के प्रकाशन के समय तैयार परिवार सूची में आवेदक का नाम शामिल नहीं होने से उसे पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है तथा वर्तमान में इस पैकेज का कोई प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

57	SUK-1776	पप्पू / काशीराम / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदिका का नाम परिवार सूची में क्र. 75 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 124 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक कृषक परिवार की है। अतः पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान 43,700 दिया गया है। जो उचित है। आवेदक को कंडिका 9.1 की पात्रता नहीं है एवं वर्तमान में 2.50 लाख विषे पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
58	SUK-1778	जीजाबाई / हब्बू / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदिका का नाम परिवार सूची में क्र. 135 पर दर्ज है। आवेदिका को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 212 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया है।		आवेदिका कृषक परिवार की है। अतः पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान 43,700 दिया गया है। जो उचित है। आवेदिका को कंडिका 9.1 की पात्रता नहीं है एवं वर्तमान में 2.50 लाख विषे पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है। आवेदिका का आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : सुकवा (वनग्राम) आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

59	SUK-1780	हीरालाल / ठाकुर / सुकवा	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अनुसार आवेदक का नाम परिवार सूची में क्र. 11 पर दर्ज है। आवेदक को पात्रता अनुसार पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 15 पर दर्शाये अनुसार राशि रु. 67500 का भुगतान किया गया है।	—	भूमिहीन को दी जाने वाली कंडिका 9.1 की राशि पात्रता अनुसार 33,150 रु. का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में 2.50 लाख रूपये का पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
60	SUK-1819	हरीकरण / नत्थू / सुकवा	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	—	—	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	